कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–35, अंक – 16 | अगस्त 16–31, 2021 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–10

आज़ादी दिवस 2021 के अवसर पर :

हिन्दोस्तान को नयी बुनियादों पर खड़ा करने की ज़रूरत है

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का बयान, 15 अगस्त, 2021

आज़ादी दिवस पर जब प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, तो अधिकतम हिन्दोस्तानी लोगों के पास खुशियां मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। बल्कि, हमारे अन्दर बहुत गुस्सा है।

हमारे इस राजनीतिक तौर पर आज़ाद राज्य में, 74 वर्षों के आर्थिक विकास के बाद, आज करोड़ों–करोड़ों स्त्री–पुरुष दो वक्त की रोटी के लिए, रोज़गार की तलाश में दर–दर भटकने को मजबूर हैं। तड़के से देर रात तक कमर–तोड़ मेहनत करने के बाद, अधिकतम लोग उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं जितना इंसान लायक ज़िन्दगी जीने के लिए ज़रूरी है।

आज से 74 वर्षों पहले, हिन्दोस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत ख़त्म हो गयी थी। लेकिन अंग्रेजों ने यहां जिस शोषण और लूट की व्यवस्था को बनाया था, वह व्यवस्था ख़त्म नहीं हुयी। मज़दूर वर्ग का पूंजीवादी शोषण न सिर्फ जारी है बल्कि दिन–ब–दिन बढ़ता जा रहा है। इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों की अगुवाई में निजी मुनाफ़ाखोरों के हाथों किसानों की लूट भी जारी है और बढ़ती जा रही है। विदेशी इजारेदार पूंजीवादी कम्पनियां, हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों की सांठ–गांठ में, हमारे लोगों के श्रम का शोषण कर रही हैं और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूट रही हैं।

हिन्दोस्तानी लोग बड़ी संख्या में आज़ादी के संघर्ष में उतर आये थे, इस उम्मीद के साथ कि अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद होकर, हमें हर प्रकार के शोषण–दमन से रिहाई मिलेगी। पर 74 वर्षों बाद, लोग वर्ग शोषण और जातिवादी दमन – दोनों के शिकार बने हुए हैं। महिलाओं पर यौन उत्पीड़न और शारीरिक हमलों का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। धर्म के आधार पर लोगों को भेदभाव और सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बनाया जाता है।

आज से 74 वर्षों पहले, हिन्दोस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत ख़त्म हो गयी थी। लेकिन अंग्रेजों ने यहां जिस शोषण और लूट की व्यवस्था को बनाया था, वह व्यवस्था ख़त्म नहीं हुयी।

करोड़ों–करोड़ों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अधिकतम मज़दूरों और किसानों के बेटे–बेटियों को घटिया किस्म की स्कूली शिक्षा मिलती है। अच्छी नौकरियां सिर्फ उन्हें ही मिलती हैं जिन्हें अच्छे अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में शिक्षा पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। अधिकतम बच्चों को कम–से–कम वेतनों पर, "नीच काम" करने के लायक ही माना जाता है।

कोविड संकट और लॉक डाउन का फ़ायदा उठाकर, मज़दूरों के शोषण और किसानों की लूट को कई गुना बढ़ा दिया गया है। 2020–21 में इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों के कुल मुनाफ़े 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गए, ऐसे दौर में जब अधिकतम हिन्दोस्तानी लोग पहले से ज्यादा ग़रीब हो गए हैं।

1857 की क्रान्तिकारी बग़ावत के दौरान, सभी इलाकों, सभी धर्मों और सभी प्रकार के काम–काज करने वाले लोग अवैध विदेशी हुकूमत के विरोध में एकजुट हुए थे। उन्होंने यह दावा किया था कि हम, हिन्दोस्तान के मेहनतकशों को देश पर राज करने का पूरा अधिकार है। उनका यह नारा "हम हैं इसके मालिक, हिन्दोस्तान हमारा!", लोगों के दिलों और दिमागों में बैठ गया था। परन्तु राजनीतिक आज़ादी के 74 वर्षों बाद, हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले कानूनों और नीतियों को निर्धारित करने में मेहनतकश बहुसंख्या का कोई नियंत्रण नहीं है।

सरकारी नीतियां और संसद में अपनाये गए सारे कानून टाटा, अंबानी, बिरला, अदानी और दूसरी इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों तथा अमेजन, वालमार्ट, फेसबुक और दूसरी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लालच को पूरा करने के लिए बनाये जाते हैं। इजारेदार पूंजीवादी कंपनियां देश का एजेंडा तय कर रही हैं। इजारेदार पूंजीवादी कंपनियां आज मालिक हैं जबकि मेहनतकश जनसमुदाय उनके बेबस गुलाम बने हुए हैं।

आज देश के अधिकतम लोगों के लिए आज़ादी एक क्रूर मजाक बन गई है। उसकी वजह 1947 में हुयी त्रासदी है। अंग्रेजों से आज़ादी का संघर्ष जब ख़त्म हुआ, उस समय लोगों की पीठ के पीछे एक सौदा किया गया। हिन्दोस्तान का बंटवारा कर दिया गया – एक हिन्दू बहुल हिन्दोस्तान

शेष पृष्ठ 2 पर

देशभर के बिजली कर्मियों का संसद पर प्रदर्शन

देश के कोने–कोने से आये सैकड़ों बिजली कर्मियों व इंजीनियरों ने नेशनल को–आर्डिनेशन कमेटी आफ इलेक्ट्रीसिटी इंप्लाईज एंड इंजीनियर्स (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) के झंडे तले, नई दिल्ली में संसद के निकट, जंतर–मंतर पर 3, 4, 5 और 6 अगस्त को, चार दिवसीय विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। केंद्र सरकार द्वारा बिजली संशोधन विधेयक 2021 को संसद के मौजूदा वर्षा सत्र में प्रस्तुत किए जाने के विरोध में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

देश के अलग–अलग राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के कर्मी और अभियंता अपनी–अपनी यूनियनों और फेडरेशनों के बैनर के साथ इस कार्यक्रम में आये। 3 अगस्त को उत्तरी हिन्दोस्तान के राज्यों – उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, और पंजाब से बिजली कर्मी कार्यक्रम में शामिल हुए। 4 अगस्त को पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों – असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, और बिहार से कर्मी आये। 5 अगस्त को

संसद पर 4 दिन के धरने पर बैठे बिजली कर्मी

पश्चिमी हिन्दोस्तान के राज्यों – महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा से बिजली कर्मियों ने भाग लिया और 6 अगस्त को दक्षिणी हिन्दोस्तान के राज्यों – केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के बिजली कर्मी शामिल हुए।

यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जंतर–मंतर पर प्रातः 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक प्रतिदिन आयोजित किया गया था। धरना स्थल पर पुलिस की बहुत भारी उपस्थिति थी। धरना के चारों तरफ पुलिस बैरिकेड लगाये गए थे। पुलिस ने बहुत दबाव डाला कि कार्यक्रम वहां न हो पाए।

परन्तु पुलिस दबाव को चुनौती देते हुए, 3 अगस्त को आंदोलित बिजली कर्मियों ने कार्यक्रम को जंतर–मंतर पर ही जारी रखा। एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. की तरफ से श्री सुभाष लाम्बा, आल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र दूबे, आल इंडिया फेडरेशन ऑफ पॉवर डिप्लोमा इंजीनियर्स की ओर से श्री आर. के. त्रिवेदी व कई अन्य नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया और आंदोलित कर्मियों का हौंसला बढ़ाया।

सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी फोरम (ए.आई.एफ.ए.पी.) के झंडे के साथ, मज़दूर एकता कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया।

शेष पृष्ठ 9 पर

अंदर पढ़ें

- हिरोशिमा की 76वीं वर्षगांठ 3
- पाठकों से 3
- खाद्य पदार्थों की बढ़ती क़ीमतें 4
- दालों की स्टॉक सीमा में ढील 4
- पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दाम 5
- किसानों पर डेटाबेस 6
- यू.ए.पी.ए. पर बैठक 7
- मुनाफ़े बढ़े; लोगों के कष्ट बढ़े 8
- मजदूरों का देश–व्यापी अभियान 8
- बिजली श्रमिकों को समर्थन 9

आज़ादी दिवस 2021

पृष्ठ 1 का शेष

और दूसरा मुसलमान बहुल पाकिस्तान। अंग्रेजों ने सांप्रदायिक जनसंहार आयोजित किया और पंजाब व बंगाल के राष्ट्रों का बेरहमी से बंटवारा किया। राजनीतिक सत्ता का लन्दन से दिल्ली को हस्तांतरण हुआ परन्तु वह हिन्दोस्तान के लोगों के हाथों में नहीं पहुंची। राजनीतिक सत्ता उन मुट्ठीभर हिन्दोस्तानियों के हाथों में आई, जिनके हित में अंग्रेजों से पाई गयी शोषण–दमन की व्यवस्था को बरकरार रखना था।

ब्रिटिश शासन में उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष के अन्दर दो परस्पर विरोधी धाराएं थीं, जो आपस में टकराती थीं। एक क्रांतिकारी धारा थी और दूसरी समझौताकारी धारा थी। क्रांतिकारी धारा के संगठन अंग्रेजों के बनाये गए संस्थानों, आर्थिक व्यवस्था, सिद्धांतों और मूल्यों को जड़ से उखाड़ने के उद्देश्य के साथ संघर्ष करते थे। उन्होंने सबको सुख–सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली नयी व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के संघर्ष को हर प्रकार के शोषण–दमन से मुक्ति के संघर्ष का हिस्सा माना था।

समझौताकारी धारा के संगठन आधारभूत परिवर्तनों के बिना राजनीतिक आज़ादी पाना चाहते थे। वे अंग्रेजों की स्थापित राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था और राज्य के संस्थानों में किसी भी प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के ख़िलाफ़ थे।

समझौताकारी धारा अंग्रेज साम्राज्यवादियों द्वारा हिन्दोस्तान पर अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार किये गए वर्गों, बड़े पूंजीपतियों और बड़े जागीरदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने ज़मीन की मालिकी की ऐसी व्यवस्था स्थापित की, जिससे बड़े–बड़े जागीरदारों का विकास हुआ। अंग्रेज साम्राज्यवादियों के साथ मिलकर काम करने वाले सम्पत्तिवान घरानों को औद्योगिक लाइसेंस दिए गए, जिससे बड़े पूंजीपतियों का विकास हुआ।

क्रांतिकारी धारा मज़दूरों, किसानों और दूसरे दबे–कुचले लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। 1913 में बनी हिंदुस्तान ग़दर पार्टी, शहीद भगत सिंह और उनके साथी तथा अनगिनत कम्युनिस्ट क्रांतिकारी, सब इस क्रांतिकारी धारा के हिस्सा थे।

समझौताकारी धारा की अगुवाई कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और हिन्दोस्तान के सम्पत्तिवान वर्गों की पार्टियों ने की। 1857 के ग़दर के बाद से अंग्रेज हुक्मरानों ने ऐसी पार्टियों को स्थापित और विकसित करने की रणनीति अपनाई थी। अंग्रेजों ने अपने उपनिवेशवादी प्रशासन के अन्दर हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों के नेताओं को शामिल करने के लिए प्रादेशिक विधान सभाओं में चुनाव करवाए।

1947 में अंग्रेज हुक्मरानों ने हिन्दोस्तान की राज्य सत्ता को उन्हीं वर्गों के हाथों में सौंप दिया, जिन्हें उन्होंने तैयार किया था। इस तरह उन्होंने सुनिश्चित किया कि हिन्दोस्तान और पाकिस्तान के नए आज़ाद हुए राज्य हमेशा ही साम्राज्यवादी व्यवस्था में जुड़े रहेंगे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी उनकी उपनिवेशवादी विरासत बरकरार रहेगी।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद, 1945 में, अंग्रेज साम्राज्यवादियों को हिन्दोस्तान में मज़दूरों और किसानों के बढ़ते संघर्षों का सामना करना पड़ा। रॉयल इंडियन नेवी (नौसेना) में बग़ावत, और उसके लिए मुंबई, कराची व दूसरे औद्योगिक शहरों की जनता के पूरे समर्थन ने अंग्रेजों के मन में क्रांति का डर पैदा कर दिया। हिन्दोस्तान के अधिकांश लोग, सोवियत संघ के मज़दूरों और किसानों की मिसाल से प्रेरित होकर, क्रांति के लिए तरस रहे थे।

अंग्रेज साम्राज्यवादी युद्ध से बहुत कमजोर हो गए थे। वे समझ गए कि हिन्दोस्तान पर उनका प्रत्यक्ष शासन अब और ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। उन्होंने हिन्दोस्तान से बाहर निकलने की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी, जिसका मक़सद था क्रांति को रोकना और दक्षिण एशिया को बंटा हुआ व बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवाद पर हमेशा निर्भर रखना।

क्रांति के सांझे डर की वजह से, अंग्रेज साम्राज्यवाद और हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपति एकजुट हो गए। उन दोनों का एक सामान्य लक्ष्य था – पूंजीवाद और साम्राज्यवादी लूट की व्यवस्था को बरकरार रखना। उन्हें इस बात का डर था कि हिन्दोस्तान के मज़दूर और किसान सोवियत संघ की मिसाल से प्रेरित होकर, पैदावार के साधनों को उपनिवेशवादियों और पूंजीपतियों के हाथों से छीन लेंगे और समाजवाद के रास्ते पर चल पड़ेंगे।

अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ, अलग–अलग समझौता किया और उन दोनों के बीच आपस में शक पैदा किया। इस तरह, उन्होंने सांप्रदायिक बंटवारे की हालतें तैयार कीं।

हिन्दोस्तान के पूंजीपतियों और उनके नेताओं का विरोध क्रांति से ज्यादा और साम्राज्यवाद से कम था। साथ ही साथ, वे राज्य सत्ता पर खुद हावी होने के इच्छुक थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों द्वारा आयोजित सांप्रदायिक बंटवारे को स्वीकार कर लिया।

1947 में अंग्रेज साम्राज्यवाद और हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपतियों के बीच उस समझौते के कारण, हिन्दोस्तान आज तक उपनिवेशवादी विरासत का गुलाम है और साम्राज्यवादी व्यवस्था में फंसा हुआ है। उपनिवेशवादी राज्य के संस्थान, भ्रष्ट अफ़सरशाही और सांप्रदायिक आधार पर बनायी गयी सेना की टुकडियां, इन सबको वैसे का वैसा ही रखा गया है। अंग्रेजों ने अपनी शोषण की व्यवस्था की हिफ़ाज़त करने के लिए जो कानून का शासन लागू किया था, वह भी वैसे का वैसा ही है। राजद्रोह कानून, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, आदि जैसे राजकीय आतंक को जायज़ ठहराने वाले तमाम कानून आज भी जारी हैं। 'बांटो और राज करो' की उपनिवेशवादी कार्यनीति, और इसके साथ–साथ सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करना तथा सांप्रदायिक सद्भावना व धर्म–निरपेक्षता का प्रचार करना – इन सारी तरकीबों को हिन्दोस्तान के पूंजीपतियों ने बरकरार रखा है व कुशल बनाया है।

बहुपार्टीवादी प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था, जिसे अंग्रेजों ने सीमित स्तर पर शुरू किया था, उसे आज़ाद हिन्दोस्तान की राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में लागू किया गया है। इस व्यवस्था का मक़सद है यह सुनिश्चित करना कि फ़ैसले लेने का अधिकार पूंजीपति वर्ग के हाथों में ही बना रहे पर यह दिखावा किया जाये कि लोग अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं।

पूंजीपति वर्ग की अगुवाई करने वाले इजारेदार घरानों ने अंग्रेजों से विरासत में पाए गए राज्य तंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, अपनी निजी दौलत को खूब बढ़ाया है। आज अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में और देश के हर कोने में उन्हीं का बोलबाला है। आज वे अरबपति हैं, दुनिया के सबसे धनवान पूंजीपतियों के साथ स्पर्धा करते हैं और खुद अपने साम्राज्यवादी सपनों को साकार बनाना चाहते हैं।

पूंजीपतियों ने सामंती अवशेषों और घिनावनी जाति प्रथा को बरकरार रखा है। पूंजीपतियों द्वारा स्थापित इस हिन्दोस्तानी संघ के अन्दर, देश के विभिन्न राष्ट्रों और लोगों को अपने राष्ट्रीय अधिकारों से वंचित किया जाता है। वर्तमान हिन्दोस्तानी संघ इसके घटक राष्ट्रों के लिए एक कारागार जैसा है। हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों को सिर्फ अपने खुदगर्ज़ हितों की ही परवाह है, इसलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था के तमान क्षेत्रों में बढ़ती साम्राज्यवादी घुसपैठ और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते वर्चस्व के लिए सारे दरवाज़े खोल दिए हैं।

जब तक राज्य सत्ता पर पूंजीपति काबिज़ रहेंगे, जब तक पूंजीपति ही देश का एजेंडा तय करेंगे, तब तक लोग इस शोषण–भरी आर्थिक व्यवस्था, इस दमनकारी राज्य तंत्र और इस गुनहगार राजनीतिक प्रक्रिया के बेबस गुलाम बने रहेंगे। विदेशी पूंजी की भूमिका और विदेशी साम्राज्यवादी दबाव बढ़ता जायेगा। हिन्दोस्तान अंतर–साम्राज्यवादी स्पर्धा और दुनिया को फिर से बांटने के नाजायज़ युद्धों में ज्यादा से ज्यादा हद तक फंसता रहेगा।

जो काम 1947 में पूरा नहीं हुआ था, उसे आज पूरा करना होगा। पूंजीवाद, अंग्रेजों के संसदीय लोकतंत्र और पूरी उपनिवेशवादी विरासत के साथ नाता तोड़ना होगा। पूंजीपतियों की जायदाद और "इजारेदार पूंजीपतियों के हक़" की हिफ़ाज़त करने वाली और इसके साथ–साथ, मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के अधिकारों को पैरों तले रौंदने वाली, इस कानून की हुकूमत (जिसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है) को हमें ख़त्म करना होगा।

वर्तमान राज्य पूंजीपति वर्ग को सत्ता में बनाये रखने और मज़दूरों–किसानों को अपने शोषण का विरोध करने के हर तरीके से वंचित करने का साधन है। हमें एक ऐसे नए राज्य की नींव डालनी होगी, जो मज़दूरों और किसानों को सत्ता में लाने का साधन बनेगा और पूंजीपति वर्ग को मज़दूरों–किसानों का शोषण करने के साधनों से वंचित करेगा।

बड़े पैमाने के उत्पादन और विनिमय के सभी साधन आज इजारेदार पूंजीपतियों की निजी संपत्ति हैं। इन्हें सामाजिक संपत्ति, सम्पूर्ण जनता की संपत्ति में तब्दील करना होगा। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने की दिशा में चलायी जाती है। इसे सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में चलाना होगा।

हिन्दोस्तान को नयी बुनियादों पर खड़ा करना, राज्य और अर्थव्यवस्था का नव–निर्माण करना, यही आज वक्त की मांग है। मज़दूरों और किसानों को एकजुट होना होगा, पूंजीपतियों को सत्ता से हटाना होगा और देश की बागडोर को अपने हाथों में लेना होगा। हमें मज़दूरों और किसानों का राज्य स्थापित करना होगा। ऐसा करके ही हम हिन्दोस्तान की आज़ादी और संप्रभुता की सच्चे माइने में हिफ़ाज़त कर सकेंगे और सबके लिए सुख–सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे।

http://hindi.cgpi.org/21240

उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष के अन्दर दो परस्पर विरोधी धाराएं थीं, जो आपस में टकराती थीं। एक क्रांतिकारी धारा थी और दूसरी समझौताकारी धारा थी।

क्रांतिकारी धारा के संगठन अंग्रेजों के बनाये गए संस्थानों, आर्थिक व्यवस्था, सिद्धांतों और मूल्यों को जड़ से उखाड़ने के उद्देश्य के साथ संघर्ष करते थे। उन्होंने सब को सुख–सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली नयी व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के संघर्ष को हर प्रकार के शोषण–दमन से मुक्ति के संघर्ष का हिस्सा माना था।

समझौताकारी धारा अंग्रेज साम्राज्यवादियों द्वारा हिन्दोस्तान पर अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार किये गए वर्गों, बड़े पूंजीपतियों और बड़े जागीरदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने ज़मीन की मालिकी की ऐसी व्यवस्था स्थापित की, जिससे बड़े–बड़े जागीरदारों का विकास हुआ। अंग्रेज साम्राज्यवादियों के साथ मिलकर काम करने वाले सम्पत्तिवान घरानों को औद्योगिक लाइसेंस दिए गए, जिससे बड़े पूंजीपतियों का विकास हुआ।

पाठकों से अनुरोध

पाठक हमारे बैंक खाते में आनलाईन पैसे भेज रहे हैं। जो पाठक पैसे भेजते हैं, वे अपने नाम और पते की पूरी जानकारी दें। हमारा वाट्सएप्प नंबर-9868811998 और मो. नं. 9810167911 है।

Internet Edition

Mazdoor Ekta Lehar Mazdoor
Hindi: http://www.hindi.cgpi.org
English: http://www.cgpi.org
Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org
Thozhilalar Ottrumai Kural
Tamil: http://www.tamil.cgpi.org

हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की 76वीं वर्षगांठ

साम्राज्यवाद का मानवता के ख़िलाफ़ कभी भी माफ़ न करने के योग्य अपराध

6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमरीकी वायु सेना के विमानों ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः दो परमाणु बम गिराए।

इतिहास में यह पहला और एकमात्र मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को जानबूझकर मारने और नष्ट करने के लिए इतनी घातक क्षमता वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया था।

प्रारंभिक विस्फोटों में 1,40,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि बाद के दिनों में लोगों पर हुए भयानक घावों और घातक विकिरण (रेडिएशन) के प्रभाव के कारण, कुल मिलाकर 3 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। फलते–फूलते दो शहर, एक ही झटके में बर्बाद हो गए और इमारतों के खाली अवशेष बाकी रह गए। हिरोशिमा और नागासाकी के लोग कई दशकों तक इस बमबारी के भयानक प्रभावों को झेलते रहे। इन परमाणु हथियारों से हुई दर्दनाक तबाही की बर्बरता और भयावहता को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

जबकि जापान और पूरी दुनिया में लोग विश्व शांति के लिए खुद को समर्पित करके 6 अगस्त और 9 अगस्त को मनाते हैं। यह याद रखना ज़रूरी है कि मानवता के ख़िलाफ़ इस जघन्य अपराध का अपराधी अमरीकी साम्राज्यवाद था।

अमरीकी साम्राज्यवादियों ने बम गिराए जाने को यह कहकर उचित ठहराया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना आवश्यक था और इस तरह और अधिक लोगों को मौत से बचाने के लिए यह ज़रूरी था। लेकिन हक़ीक़त तो यह है कि अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत बहुत ही क़रीब था। यह सबको दिख रहा था कि जापान की हार निश्चित थी। जापान के मुख्य सहयोगी, नाज़ी जर्मनी और इटली पहले ही हार चुके थे। चीन, वियतनाम, कोरिया, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, लाओस और कंबोडिया के लोगों द्वारा छेड़े गए अथक संघर्षों ने, कब्ज़ा करने वाले जापानी साम्राज्यवादियों के इरादों को चकनाचूर कर दिया था। सोवियत लाल सेना के 10 लाख से अधिक सैनिक मंचूरिया में लोगों को जापानी कब्ज़े से मुक्त कराने में मदद करने के लिए, तब तक वहां पहुंच चुके थे। जापान को पहले ही अपने अधिकांश शहरों पर लगातार बमबारी से काफी नुकसान उठाना पड़ा था। परमाणु बम गिराने से युद्ध की दिशा नहीं बदली।

जापान पर परमाणु बम गिराने के मुख्य कारणों में से एक यह है कि अमरीकी साम्राज्यवाद जापान को तुरंत आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना चाहता था, क्योंकि उसे यह सुनिश्चित करना था कि जापान समाजवादी सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण न करे, जो कि बिल्कुल मुमकिन था क्योंकि सोवियत लाल सेना उस समय पहले से ही जापान के सागर–पार मंचूरिया में थी। यह सब तब हुआ जब सोवियत संघ अभी भी युद्ध में अमरीका का सहयोगी था। उस समय के हालातों से यह स्पष्ट हो गया था कि अमरीका द्वारा पूरी कोशिश इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए की जा रही थी कि युद्ध के अंत में अमरीका दुनिया की एक बड़ी प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरे और समाजवादी सोवियत संघ की शक्ति और प्रतिष्ठा को कम किया जाए। उस समय परमाणु क्षमता वाली एकमात्र शक्ति के रूप में अमरीका ने समाजवादी सोवियत संघ और दुनिया के सभी लोगों को, जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ एक बहादुर संघर्ष कर रहे थे, उन्हें धमकी देने के लिए जापान पर गिराने के लिये परमाणु बमों का इस्तेमाल किया। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक साम्राज्यवादी शक्ति के स्वार्थी हितों को पूरा करने के लिए एक ही झटके में लाखों निर्दोष लोगों की जान ले ली गई।

इस प्रकार, हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी का महत्व यह नहीं था कि इसने द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किया, बल्कि इसमें हक़ीक़त यह है कि इसने अमरीकी साम्राज्यवाद जैसी एक नई महाशक्ति के विश्व मंच पर आगमन की घोषणा की, जो विश्व प्रभुत्व के अपने खुदगर्ज लक्ष्य को हासिल करने के लिए, लोगों के ख़िलाफ़ सबसे घातक हथियारों का जो उस समय मानव जाति के सबसे भयंकर हथियार थे, उनका उपयोग करने के लिए तैयार था। उसके बाद के वर्षों में अमरीका ने अपने परमाणु–शस्त्रागार का निर्माण किया, जिसमें हजारों परमाणु–हथियार और उससे भी अधिक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम शामिल थे और जिनके निशाने पर सोवियत संघ, चीन, कोरिया, वियतनाम और यूरोप के पीपुल्स डेमोक्रेसी के देशों के सैकड़ों शहर और कस्बे थे।

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद के दशकों में अमरीकी साम्राज्यवाद ने बार–बार यह साबित किया है कि वह वैश्विक–प्रभुत्व के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक विनाश और देशों को बर्बाद करने में सक्षम हथियारों का उपयोग करने में कोई संकोच नहीं करेगा। युद्ध के अंत के तुरंत बाद, यूनान के लोगों के क्रांतिकारी संघर्ष को कुचलने के लिए अमरीका ने यूनान में हस्तक्षेप किया। इसने सोवियत संघ और यूरोप में हाल ही में मुक्त हुए देशों, क्रांतिकारी चीन के साथ–साथ लोगों के मुक्ति–संघर्षों को दबाने के लिए, नाटो, सीटो और सेंटो जैसे आक्रामक सैन्य गठबंधन बनाए। इसने 1950 में कोरियाई–युद्ध शुरू किया, जिसमें हजारों लोगों की जानें गईं और अन्त में, कोरिया का स्थायी विभाजन हो गया। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में जब वियतनामी सेनानियों ने अपने देश को फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से मुक्त कराने में सफलता पायी, अमरीकी साम्राज्यवाद ने तुरंत वियतनाम के दक्षिणी भाग में अपने चमचों (कठपुतली) के शासन का समर्थन करने के लिए वहां अपनी सेना भेजी। लंबे समय तक चलने वाले इस युद्ध को कंबोडिया और लाओस के पड़ोसी देशों में भी विस्तारित किया गया था, अमरीका ने कुख्यात एजेंट ऑरेंज जैसे रासायनिक हथियारों सहित और भी अधिक और नए घातक हथियारों का परीक्षण किया। अमरीकी साम्राज्यवादियो ने, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे अन्य देशों में ऐसे दमनकारी–शासकों का समर्थन किया जिन्होंने हजारों लोकतांत्रिक और प्रगतिशील लोगों का क़त्ल किया।

जब सोवियत संघ एक समाजवादी देश से एक सामाजिक साम्राज्यवादी देश में तब्दील हो गया, तब विश्व प्रभुत्व के लिए अमरीका के साथ मिलीभगत और संघर्ष करते हुए, इन दो महाशक्तियों ने अपने परमाणु शस्त्रागार का उपयोग, अन्य देशों को धमकाने और ब्लैकमेल करने के लिए किया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी, इन घातक हथियारों का भंडार सुरक्षित है और उनको कभी भी तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार रखा गया है जिससे पूरी मानव जाति के लिए एक भयंकर ख़तरा पैदा हो गया है। परमाणु हथियारों के अलावा, अमरीकी साम्राज्यवाद ने कई अन्य भयानक हथियारों को विकसित करने का बीड़ा उठाया है ऐसे रासायनिक और जैविक हथियार जिनके द्वारा जब चाहे, लोगों और पर्यावरण को और भी अधिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

नई सहस्त्राब्दी में अमरीकी साम्राज्यवाद ने पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के अपने खूनी इतिहास को जारी रखा है। किसी भी देश को जो उनके अपने मंसूबों को हासिल करने में रोड़ा नज़र आता है, अमरीकी साम्राज्यवाद उसे 'आतंकवादी' या 'दुष्ट राज्य' घोषित कर देता है और फिर उस पर निर्मम हमला करता है। पिछले दो दशकों में अमरीका ने इसी तरह अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया और सीरिया जैसे देशों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, हजारों निर्दोष लोगों की हत्या की है और इस प्रकार दुनिया के समृद्ध देशों की प्रगति की संभावनाओं को कई दशकों तक के लिए रोक दिया है।

हमें इस हक़ीक़त पर गौर करने की ज़रूरत है कि जिस महाशक्ति ने सामूहिक

शेष पृष्ठ 8 पर

पाठकों से

पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग के राजनीतिक अधिकारों का हनन कर रहा है

संपादक महोदय,

'उदारीकरण और निजीकरण के तीस साल बाद' तथा 'सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी मंच' (ए.आई.एफ.ए.पी.) की स्थापना की रिपोर्ट, ये दोनो ही लेख मौजूदा हालात को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विगत तीस सालों का अध्ययन करने पर हम यह पाते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) तथा विश्व बैंक के प्रभाव तले, नीतियों को किस कदर पूंजीपतियों को विकसित करने के लिए, उनके अनुरूप बनाया गया। बॉम्बे प्लान के तहत आज़ादी के तीन दशकों तक हिन्दोस्तानी सरमायदारों ने अपने आपको बाज़ार में और सशक्त बनाया। 90 के दशक के पश्चात बाज़ारों को पूरी तरह खोला गया ताकि देशी और विदेशी पूंजी पूरी तरह से बाज़ारों पर हावी हो सके।

पिछले तीन दशकों का विश्लेषण साफ बताता है कि श्रमिक वर्ग और मालिक वर्ग के बीच अंतर बहुत–बहुत बढ़ चुके हैं। एक तरफ मज़दूर किसान गहरी आर्थिक विषमताओं की दलदल में धंस चुके हैं, उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, जबकि दूसरी और हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग के राजनीतिक अधिकारों का हनन कर रहा है और विश्व स्तर पर बेशुमार संपत्तिवानों की संख्या में अपने आपको शामिल करवा रहा है।

1990 में हिन्दोस्तानी डॉलर अरबपतियों की संख्या शून्य थी जो 2020 में बढ़कर 140 हो गयी। यह घिनौना इतिहास है कि ज़रूरत पड़ने पर सार्वजनिक पैसों का इस्तेमाल किया गया और आज मालामाल होने के बाद उसी सार्वजनिक संपत्ति को कौड़ियों के मोल खरीद कर हिन्दोस्तानी सरमायदार अपने साम्राज्य को और बढ़ा रहा है। देश की सम्पदा के वास्तविक मालिक मज़दूर और किसान हैं जो अपनी श्रमशक्ति के द्वारा दौलत पैदा करते हैं।

हिन्दोस्तानी राज्य और सरमायदारों को कोई हक़ नहीं है कि देश की सम्पदा की ख़रीद फ़रोख़्त की जाये और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाये। यह आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जिनका मक़सद मुनाफ़ा कमाना नहीं है बल्कि एकमात्र काम है सेवा करना, इनके निजीकरण पर फ़ौरन प्रतिबन्ध लगाया जाये।

सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी मंच; (ए.आई.एफ.ए.पी.) की स्थापना आज वक्त की ज़रूरत है। यह मज़दूर संगठनों की एक ताक़त है; यह अलग–अलग क्षेत्रों के मज़दूरों को एक दूसरे के संघर्षों से जोड़ता है और निजीकरण जैसे देश–विरोधी समाज–विरोधी कार्यक्रमों से लड़ने की हिम्मत पैदा करता है।

मैं ए.आई.एफ.ए.पी. में कार्यरत तमाम यूनियनों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि देश में चल रहे संघर्षों के प्रवाह को और तेज़ करेगा। ए.आई.एफ.ए.पी. एक ऐसा मंच साबित होगा जो सरमायदारी व्यवस्था को घुटने पर लाकर खड़ा कर देगा। मैं ए.आई.एफ.ए.पी. की लंबे; संघर्षमयी और सफल जीवन की शुभकामना देता हूं।

विवेचन, मुंबई

http://hindi.cgpi.org/21177

खाद्य तेलों और दालों की बढ़ती क़ीमतें :

इजारेदार पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने के लिए लोगों की लूट

पिछले एक साल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 खाद्य तेलों की क़ीमतें जिसमें – मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति और सोयबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल और पामोलीन के तेल की क़ीमतें 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक बढ़ी हैं। इन दस सालों के दौरान खाद्य तेलों की क़ीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हुई, मई 2021 में देखी गईं। इन बढ़ती क़ीमतों ने उन कामकाजी लोगों पर और अधिक बोझ डाला है जो कुछ महीनों से पेट्रोल की बढ़ती क़ीमतों से पहले ही जूझ रहे हैं।

हिन्दोस्तान प्रतिवर्ष 150 लाख टन खाद्य तेलों का आयात करता है और उत्पादन केवल 75–85 लाख टन है। हिन्दोस्तान विश्व में खाद्य तेलों का प्रमुख आयातक है। घरेलू तेल की क़ीमतें अंतर्राष्ट्रीय क़ीमतों पर निर्भर होती हैं। हाल के महीनों में खाद्य तेलों की क़ीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ही तेज़ी से उछाल आया है।

भोजन पकाने वाले तेल की क़ीमतों की तरह ही दालों की क़ीमतें भी पिछले साल से 4 से 15 प्रतिशत तक बढ़ी हैं।

दालें जो प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत हैं और देश के अधिकांश लोगों के लिए खाद्य तेल वसा का एक प्रमुख स्रोत हैं। इनकी क़ीमतों में वृद्धि लोगों के पोषण पर विपरीत प्रभाव डालती हैं।

देश में दालों की वार्षिक खपत लगभग 250 लाख टन है। 2020–21 के दौरान सरकार ने विभिन्न तरह की दालों का 30 लाख टन आयात करने की योजना बनाई है।

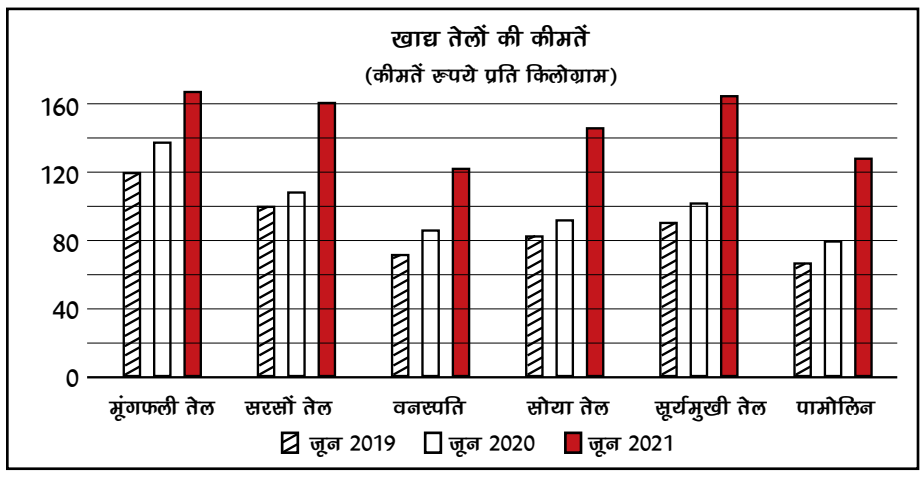

हिन्दोस्तान दालों की खपत के साथ–साथ विश्व में एक महत्वपूर्ण आयातक भी है।

खाद्य तेलों और दालों दोनों मामलों में सरकार दर सरकार ने उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए आयात पर ध्यान केंद्रित किया है।

यह एक सोची–समझी नीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय और हिन्दोस्तानी इजारेदारों की सेवा करती है, जो खाद्य तेलों और दालों के व्यापार पर हावी हैं। ये इजारेदार अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाज़ारों में बहुत कम क़ीमतों पर इन्हें ख़रीदने के बाद, इन वस्तुओं की घरेलू क़ीमत बढ़ाने के लिए उत्पादक संघ बनाते हैं। लोगों को लूटा जाता है क्योंकि इन दैनिक आवश्यकताओं के लिए लोगों को बहुत अधिक क़ीमत चुकानी पड़ती है।

कथित तौर पर सरकार घरेलू क़ीमतों को विनियमित करने के लिए आयात शुल्क बढ़ाती या घटाती है, आयात पर प्रतिबंध लगाती है या हटाती है। इस प्रकार 15 मई, 2021 को केन्द्र सरकार ने अरहर, उड़द और मूंग की दाल के मुक्त आयात की घोषणा की। ऐसा लोगों को यह समझाने के लिए किया गया है कि सरकार वास्तव में उनकी भलाई के बारे में कितना चिंतित है।

जब घरेलू क़ीमतें बढ़ती हैं तो किसान ज्यादा फ़सल बोते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं लेकिन क़ीमतें तब गिरती हैं जब कटाई का समय आता है क्योंकि सरकार क़ीमतों को कम करने के लिए आयात की अनुमति देती है या आयात शुल्क को कम करती है। इसलिए किसान अगले वर्ष फ़सल की बुआई को कम कर देते हैं और इससे उत्पादन में गिरावट आती है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा आयात होता है। यह चक्र चलता रहता है।

आयात पर निर्भरता को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय क़ीमतों के साथ संबंध तोड़ने के लिए तिलहन और दलहन दोनों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की आवश्यकता है। (दालों की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ने की बजाय वह गिर रही है)। उनका उत्पादन तभी बढ़ेगा जब किसानों को एक लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) और एम.एस.पी. पर उनकी उपज की ख़रीद का आश्वासन दिया जाएगा। सरकार दलहन और तिलहन के लिए एम.एस.पी. की घोषणा करती है, लेकिन बहुत कम ख़रीद एम.एस.पी. पर करती है इसका नतीजा यह होता है कि किसानों को वह मूल्य नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए।

खाद्य तेलों और दालों के आयात पर निर्भरता की सरकार की नीति के परिणामस्वरूप तिलहन और दाल उगाने वाले किसानों के साथ–साथ जनता को भी लूटा जाता है। यह हिन्दोस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य इजारेदार हैं जो इस नीति से मुनाफ़ा बनाते हैं।

अंतिम विश्लेषण में प्रश्न ये है कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में चल रही है। क्या सामाजिक उत्पादन और विनिमय को पूरी आबादी की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में चलाया जाना चाहिये या इसे अल्पसंख्यक पूंजीपतियों के मुनाफ़े को बढ़ाने के लिए? किसानों और मेहनतकशों की ज़रूरतों को पूरा करना ही इसकी प्रेरक शक्ति होनी चाहिये। इससे ही किसानों की आजीविका और मेहनतकश लोगों को खाद्य वस्तुओं की महंगाई से सुरक्षा मिलेगी।

http://hindi.cgpi.org/21179

दालों पर स्टॉक की सीमा में ढील – बड़े व्यापारियों और जमाखोरों के हित में एक क़दम

2 जुलाई, 2021 को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों के लिए मूंग को छोड़कर सभी दालों पर स्टॉक रखने की सीमा तय की गई थी। आदेश के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 अक्तूबर तक स्टॉक करने की सीमा निर्धारित की गई थी। थोक व्यापारियों के लिये 200 टन और खुदरा व्यापारियों के लिये 5 टन की स्टॉक सीमा निर्धारित लगाई गई थी। दाल मिल के मालिक अपनी स्थापित वार्षिक क्षमता का 25 प्रतिशत या उत्पादन के पिछले तीन महीनों में जो भी अधिक हो, स्टॉक कर सकते हैं।

यह देखते हुए कि तेल और दाल की क़ीमतों में पिछले साल की तुलना में अप्रैल–जून 2021 में 120 प्रतिशत से 160 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, यह स्टॉक सीमा बाद में लगाई गई थी। इससे उत्पादकों की बजाय थोक और खुदरा दोनों व्यापारियों ने अच्छा पैसा कमाया, और कामकाजी आबादी को अपनी दाल की खपत में कटौती करनी पड़ी क्योंकि वे इस तरह की भयानक क़ीमतों का भार नहीं उठा सकते थे।

सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ा कि वह दाल और तेल की बढ़ती क़ीमतों के मुद्दे के समाधान के लिए कुछ क़दम उठा रही है। एक ओर तो सरकार ने आयात को और बढ़ाया और दूसरी ओर दिखावा करने के लिये जुलाई की शुरुआत में सरकार ने स्टॉक करने की सीमाओं पर बंदिश लागाई ताकि ऐसा लगे कि सरकार जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कर रही है। व्यापारी संघों ने तुरंत स्टॉक करने पर लगाई गई सीमा का विरोध किया, जिसके कारण उनके लाभ कमाने में बाधा उत्पन्न होगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के व्यापारियों ने अपनी दुकानों और गोदामों के दरवाज़े बंद कर दिये। कई मंडियों को बंद कर दिया गया और कई बाज़ार समितियों ने वस्तुओं की ख़रीद और बिक्री बंद कर दी, जैसे कि महाराष्ट्र में।

फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स महाराष्ट्र (एफ.ए.टी.एम.) और चैंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (सी.ए.एम.आई.ट्रे.) मुंबई ने संयुक्त रूप से व्यापार प्रतिनिधियों की एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। केंद्र के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 16 जुलाई को आंशिक तौर पर एक दिवसीय बंद रखने का निर्णय लिया गया। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संघों–इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन (आई.पी.जी.ए.) और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सी.ए.आई.टी.) ने सरकार द्वारा स्टॉक पर सीमा लगाने के आदेश को वापस नहीं लेने पर अनिश्चितकालीन बंद की धमकी दी।

सरकार ने 19 जुलाई तक आदेश में ढील दी थी और आयातकों के लिए पूर्णछूट के साथ थोक और मिल मालिकों के लिए अनुमानित दालों की उचित स्टॉक की मात्रा में वृद्धि की थी। इससे साफ नज़र आता है कि सरकार ने तेल और दाल के सबसे बड़े व्यापारियों की मांगों को पूरा किया है। संशोधित स्टॉक सीमा के अनुसार, थोक व्यापारी अब एक बार में 500 मीट्रिक टन दाल रख सकते हैं, बशर्ते किसी एक दाल की मात्रा 200 मीट्रिक टन से अधिक न हो।

हिन्दोस्तान की सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जनता को कुछ राहत देने वाली टिप्पणी की है कि स्टॉक की सीमा की निगरानी की जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनतकश आबादी की क़ीमत पर व्यापारियों और जमाखोरों के हितों की सेवा की गई है। व्यापारी यह सुनिश्चित करते हैं कि स्टॉकिंग नीति उनके पक्ष में हो। वहीं सरकार के प्रवक्ताओं का दावा है कि स्टॉकिंग नीति में इस छूट से किसानों को अच्छी आमदनी का आश्वासन मिलेगा और उन्हें अधिक दाल बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह किसानों या इन आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करने वाले मेहनतकश लोगों के हित में काम करता है, यह एक बड़ा झूठ है क्योंकि सरकार ने ही आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 पारित किया है। इस अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 12 जनवरी, 2021 द्वारा अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यदि अधिनियम लागू होता है, तो क़ीमतों में वृद्धि के बावजूद निजी व्यापारी अपने स्टॉक को बिना किसी छूट के इकट्ठा कर सकते हैं।

2020 का संशोधन कुछ आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक पर प्रतिबंध को हटाता है। यह प्रावधान बताता है कि केंद्र सरकार केवल युद्ध, अकाल, असाधारणमूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं जैसी असाधारण परिस्थितियों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकती है। आगे यह साफ तौर पर बताता है कि स्टॉक पर सीमा केवल तभी लगाई जा सकती है जब ख़राब न होने वाले खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में पिछले 12 महीनों में प्रचलित मूल्य से 50 प्रतिशत की वृद्धि हो या पिछले पांच वर्षों के औसत खुदरा मूल्य, जो कम से कम हो, तो 49 प्रतिशत तक की क़ीमतों में वृद्धि से व्यापारिक व्यवसायों को भारी मुनाफ़ा कमाने की पूरी गुंजाइश मिल जाएगी, जबकि मेहनतकश लोग इस तरह की क़ीमतों में वृद्धि से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020, जो 2020 में पारित किए गए तीन कृषि कानूनों में से एक है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वर्तमान व्यवस्था में किसका हित है। इसी तरह, खाद्य उत्पादों पर स्टॉक की सीमा को हाल ही में वापस लेना स्पष्ट रूप से मेहनतकश लोगों के हितों के ख़िलाफ़ और निजी व्यापारियों और जमाखोरों के हित में है।

http://hindi.cgpi.org/21193

पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम :

जनता की सेवा के नाम पर मज़दूरों और किसानों की प्रत्यक्ष लूट

पेट्रोल और डीजल की क़ीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 3 अगस्त, 2021 को प्रमुख शहरों में इनकी क़ीमतें इस प्रकार थीं।

शहर का नाम	पेट्रोल (रू./लीटर)	डीजल (रू./लीटर)
नई दिल्ली	101.84	89.87
मुंबई	107.83	97.45
कोलकाता	102.08	93.02
चेन्नई	102.49	94.39
बेंगलूरू	105.25	95.26
हैदराबाद	105.83	97.96
भोपाल	110.20	98.67
जयपुर	108.71	99.02

छोटे शहरों में पेट्रोल के दाम ज्यादा हैं। 3 अगस्त को राजस्थान के हनुमानगढ़ में यह दाम 113 रुपये प्रति लीटर था।

एक साल पहले 3 अगस्त, 2020 को दिल्ली में पेट्रोल की क़ीमत 80.43 रुपये प्रति लीटर और डीजल की क़ीमत 73.56 रुपये प्रति लीटर थी। दो साल पहले 19 अगस्त, 2019 को दिल्ली में पेट्रोल की क़ीमत 71.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल की क़ीमत 65.11 रुपये प्रति लीटर थी। इन आवश्यक वस्तुओं की क़ीमतों में एक वर्ष के भीतर 25 प्रतिशत से अधिक और दो वर्षों में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

पेट्रोल और डीजल विलासिता की वस्तुएं नहीं हैं। ये करोड़ों लोगों के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ईंधन की बढ़ती क़ीमतों ने कामकाजी लोगों की जेबें खाली कर दी हैं।

जिन लोगों को अपने दैनिक कार्यों के लिए दोपहिया या कारों का इस्तेमाल करना पड़ता है वे तबाह हो गए हैं। उनके पास अन्य खर्चों में कटौती करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

ईंधन की क़ीमतों में बढ़ोतरी ने किसानों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। जिन्हें अपने पंपसेट, जनरेटर, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता होती है।

परिवहन की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप, ईंधन की क़ीमतों में वृद्धि का अन्य सभी ज़रूरत की वस्तुओं की क़ीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। ईंधन की बढ़ती क़ीमतों के कारण खाद्यान्न, सब्जियों और दालों की क़ीमतों में भी वृद्धि हुई है। बस का किराया, ऑटो का किराया और टैक्सी का किराया बढ़ रहा है। मज़दूरों, किसानों और बड़ी संख्या में मेहनतकश लोगों का जीवन नर्क बनता जा रहा है।

हिन्दोस्तान में कच्चे तेल की कुल मांग का 80 प्रतिशत से अधिक आयात से पूरा होता है – कच्चे तेल का ज्यादातर आयात पश्चिम एशिया से होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की बदलती क़ीमतों का हिन्दोस्तान में पेट्रोल और डीजल की क़ीमतों पर असर पड़ता है इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि, उच्च क़ीमतों के पीछे मुख्य कारण, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर लगाए गए टैक्स हैं।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आई.ओ.सी.) की वेबसाइट के अनुसार, 1 अगस्त, 2021 को पेट्रोल और डीजल की क़ीमतों का विवरण नीचे दिया गया है।

जैसा कि तालिकाओं में देखा जा सकता है, पेट्रोल की क़ीमत 101.84 रुपये में से केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स 56.40 रुपये है। इसी तरह दिल्ली में डीज़ल की क़ीमतों के संबंध में नीचे दी गयी तालिका इनका ब्यौरा दर्शाती है।

कई राज्य पेट्रोल और डीज़ल पर दिल्ली की तुलना में अधिक वैट लगाते हैं।

सभी पड़ोसी देशों में ईंधन की क़ीमतें, हिन्दोस्तान की तुलना में काफी कम हैं। 14 जून को पेट्रोल की क़ीमत, पाकिस्तान में 51.87 रुपये, श्रीलंका में 68.18 रुपये और बांग्लादेश में 77.78 रुपये प्रति लीटर थी।

कच्चे तेल की वैश्विक क़ीमतें आज 2012–2014 के उच्चतम स्तर से काफी कम हैं। ये लगभग 40 प्रतिशत कम हैं। (नीचे ग्राफ देखें) हालांकि, अधिक टैक्स और अन्य शुल्कों के कारण, आज पेट्रोल और डीजल की क़ीमतें, सात साल पहले की तुलना में बहुत अधिक हैं।

दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 1 अगस्त, 2021 से प्रभावी बढ़ोतरी

पेट्रोल की कीमत के अलग–अलग हिस्से	दिल्ली में 1 अगस्त को दाम (रु./लीटर)
आधार मूल्य	41.24
माल ढुलाई आदि	0.36
डीलरों से लिया जाने वाला मूल्य (उत्पाद शुल्क और वैट को छोड़कर)	41.60
जोड़ें रू उत्पाद शुल्क रु/लीटर	32.90
जोड़ें रू डीलर कमीशन (औसत)	3.84
जोड़ें रू राज्य वैट (डीलर कमीशन पर वैट सहित)	23.50
दिल्ली में कुल खुदरा बिक्री मूल्य	101.84

दिल्ली में डीज़ल की कीमतों में 1 अगस्त, 2021 से प्रभावी बढ़ोतरी

डीज़ल की कीमत के अलग–अलग हिस्से	दिल्ली में 1 अगस्त को दाम (रु./लीटर)
आधार मूल्य	42.00
माल ढुलाई आदि	0.33
डीलरों से लिया जाने वाला मूल्य (उत्पाद शुल्क और वैट को छोड़कर)	42.33
जोड़ें रू उत्पाद शुल्क रु/लीटर	31.80
जोड़ें रू डीलर कमीशन (औसत)	2.60
जोड़ें रू राज्य वैट (डीलर कमीशन पर वैट सहित)	13.14
दिल्ली में कुल खुदरा बिक्री मूल्य	89.87

पेट्रोल और डीज़ल के खुदरा मूल्य में आधे से ज्यादा हिस्सा टैक्स से है
(दिल्ली की 1 जून 2021 की कीमतों पर आधारित)

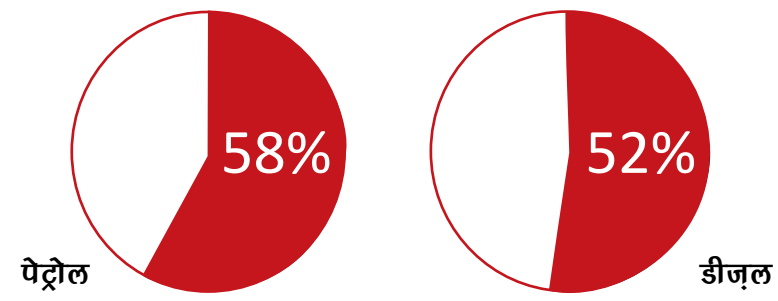

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आई.ओ.सी.), रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल. इत्यादि जैसी तेल शोधन और विपणन कंपनियां, कच्चे तेल के शोधन और पेट्रोल व डीजल सहित अन्य तेल–उत्पादों के विपणन, दोनों में मुनाफ़ा कमाती हैं।

पेट्रोल और डीजल की क़ीमतें आई.ओ.सी., बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल. जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जब भी कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय क़ीमत बढ़ती है, तो वे अपने मुनाफ़े बरकरार रखने के लिए आधार–मूल्य को आनुपातिक रूप से बढ़ाती हैं। आधार–मूल्य में वृद्धि स्वतः ही अधिक कर–राजस्व की दिशा में ले जाती है।

जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमतें गिरती हैं, तो तेल विपणन कंपनियां आधार–मूल्य को आनुपातिक रूप से कम नहीं करती हैं। उदाहरण के लिए अप्रैल 2020 में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की क़ीमत बहुत निचले स्तर तक गिर गई थी, तब हिन्दोस्तान में तेल कंपनियों ने 27.95 रुपये प्रति लीटर का आधार मूल्य घोषित किया था। इस आधार–मूल्य ने तेल कंपनियों को बेचे गए पेट्रोल पर 13 रुपये प्रति लीटर का रिकॉर्ड मुनाफ़ा कमाने का मौका दिया। उन्होंने जो कुछ भी रियायत दी उसे पेट्रोलियम टैक्स की दरों में वृद्धि करके पूरा कर दिया गया और इस तरह से उपभोक्ताओं के लिए क़ीमतों में गिरावट नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की क़ीमतों में गिरावट से, लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ।

इस समय अपनाई जा रही पेट्रोलियम मूल्य निर्धारण नीति को सरकार द्वारा ऐलान किये गए निजीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में देखने की ज़रूरत है। तेल शोधन और विपणन में हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपति पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बाज़ार में अपने हिस्से का तेज़ी से विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। उनकी योजना है इस क्षेत्र में तेज़ी से और अधिक विकास करना तथा तेल शोधन व विपणन में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपने कब्ज़े में लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना। (अगले पृष्ठ पर बॉक्स देखें)

सरकार का झूठा दावा

13 जून को केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ईंधन की क़ीमतों को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे प्राप्त पैसे का उपयोग सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिये किया जा रहा है।

पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा टीकों पर 35,000 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और 8 महीने तक ग़रीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं।

जिस हक़ीक़त को मंत्री जी लोगों से छिपा रहे हैं, वह यह है कि टीकों पर 35,000 करोड़ रुपये का पैसा वैक्सीन बनाने वाली बड़ी फार्मा कंपनियों को दिया गया है, ताकि उनके मुनाफ़े को और बढ़ाया जा सके। सरकार जो अनाज ग़रीबों और ज़रूरतमंदों को बांटने का दावा करती है, वह भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पहले से ही मौजूद है। अगर उन्हें लोगों में नहीं बांटा गया तो वह सारा अनाज सड़ जाएगा। मंत्री जी हक़ीक़त को छिपाने के लिए ग़रीबों को दिए जाने वाले अनाज की क़ीमत दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क से एकत्र किए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीज़ल के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 2020–21 में 3.6 लाख करोड़ रुपये था। इस समय हिन्दोस्तान की जनसंख्या

शेष अगले पृष्ठ पर

2012 के मुकाबले कच्चे तेल का मूल्य 40 प्रतिशत कम हैं

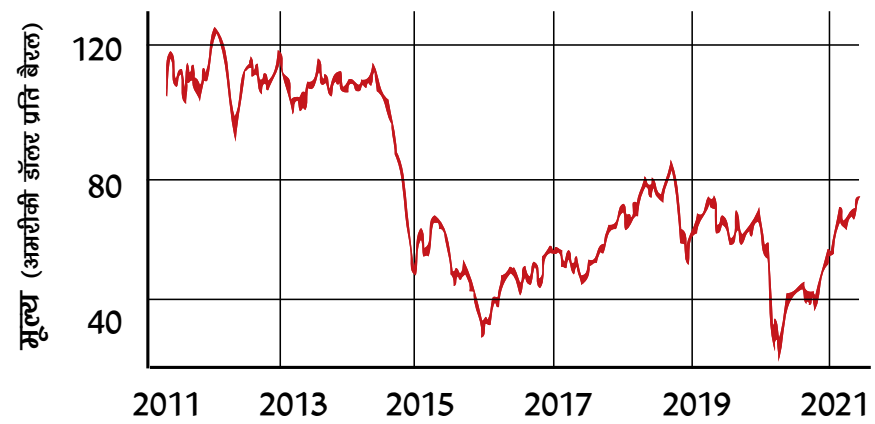

किसानों पर डेटाबेस :

कृषि पर इजारेदार पूंजीपतियों की पकड़ को तेज़ करने का रास्ता

1 जून, 2021 को कृषि मंत्रालय ने 'द इंडिया डिज़िटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर' (आई.डी.ई.ए.) नाम से एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया है। जिसमें 'एग्रीस्टैक' के लिए एक प्रस्तावित ढांचे के बारे में बताया गया है। एग्रीस्टैक हिन्दोस्तान के किसानों और कृषि क्षेत्र का एक खास डिज़िटल डेटाबेस होगा।

किसानों का एक मास्टर डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। जैसे–जैसे डेटाबेस विकसित होता जायेगा, इसमें किसानों की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे उनकी भूमि के बारे में जानकारी (मलिकी की जगह और आकार के बारे में जानकारी देनेवाले नक्शे, भूमि पर मलिकी की जानकारी, स्थानीय जलवायु और भौगोलिक स्थिति), उत्पादन विवरण (उगाई गई फ़सलें, उत्पादन का इतिहास, लागत का इतिहास, उपज की गुणवत्ता, मालिकी का ढांचा) और वित्तीय विवरण (लागत के खर्चे, औसत कमाई, उधारी का इतिहास) शामिल होते जायेंगे।

13 अप्रैल, 2021 को कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कापोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता ज्ञापन के ज़रिये सरकार माइक्रोसॉफ्ट के एक स्थानीय सांझेदार, क्रॉपडाटा को किसानों का एक मास्टर डेटाबेस संकलित और नियंत्रित करने की अनुमति देगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 100 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए इसे अनुमति दी गई है। इस डेटा के साथ, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी क्लाउड कम्प्यूटिंग सेवाओं के माध्यम से "एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस" बनाने का वादा किया है। सीधे शब्दों में कहें तो यह सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल है जो किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और अन्य सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए सरकार ने किसानों से संबंधित सारी जानकारी हासिल करने की अनुमति माइक्रोसॉफ्ट को दे दी है।

इसके बाद, विभिन्न कार्यों के लिए मंत्रालय ने 1 जून को एग्रीस्टैक के तहत चार अन्य समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, ये समझौता ज्ञापन – स्टार एग्रीबाज़ार, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, अमेजॉन इंटरनेट सर्विसेज़ और एस्री इंडिया के साथ हस्ताक्षर किये गये हैं। स्टार एग्रीबाज़ार कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन व्यापार का प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन इंटरनेट सर्विसेज़, अमेजॉन वेब सर्विसेज़ की हिन्दोस्तानी सहायक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करती है, पतंजलि कृषि के इस्तेमाल के लिए जैविक उत्पादों और जैविक खेती के लिए तकनीकों में माहिर है, ई.एस.आर.आई., जी. आई.एस. मैपिंग में माहिर है।

सभी समझौता ज्ञापनों में ऐसे प्रावधान हैं, जिनके तहत कृषि मंत्रालय इन हिन्दोस्तानी और विदेशी कंपनियों के साथ डेटा सांझा करेगा।

सवाल यह उठता है कि मंत्रालय द्वारा उठाए गए इन क़दमों का किसानों पर क्या असर होगा? पहला मुद्दा यह है कि सरकार ने किसान संगठनों के साथ इस तरह के डेटाबेस के उद्देश्य, दायरे और प्रभाव पर चर्चा करने की भी जहमत नहीं उठाई है, ध्यान देने वाली दूसरी बात यह है कि एग्रीस्टैक और हाल के कृषि कानूनों के बीच ज़रूर कोई रिश्ता है।

कृषि कानूनों का उद्देश्य डिजिटल रिकॉर्ड और लेनदेन के आधार पर एक कृषि प्रणाली स्थापित करना है (किसानों की उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 की धारा 4 (2) और (7)। एग्रीस्टैक लागू होने पर देशी और विदेशी इजारेदार पूंजीपति, जो हिन्दोस्तानी कृषि में प्रवेश करने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके द्वारा उठाए गए लुटेरे क़दमों का असर सीधा किसानों पर पड़ेगा।

किसानों की संपत्ति और उनके कार्यों के बारे में सब कुछ जानकर ये इजारेदार पूंजीपति, किसानों की कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकेंगे तथा उन्हें और अधिक आसानी से कर्ज़ में डाल सकेंगे और अंततः उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेंगे। विशालकाय डेटा कंपनियों और ई–कॉमर्स कंपनियों का उत्पादन और संचालन से संबंधित सारे डेटा पर नियंत्रिण होगा, जैसे कि किसे किस चीज की और कब आवश्यकता है, किसे उसका उत्पादन करना चाहिए, उसका संचालन कब और कौन करेगा। उदाहरण के लिए, इस डेटा के साथ अनुबंध खेती की सटीक योजना बनाई जा सकती है। कृषि में लगने वाले साधनों का व्यापार और उपज की ख़रीद की योजना बहुत छोटे से छोटे स्तर पर बनाई जा सकती है। कौन सा किसान कर्ज़ में है, कितना भुगतान बाकी है – इन सभी आंकड़ों से कंपनियां तय कर सकेंगी कि किन किसानों को निशाना बनाया जाना चाहिए।

कृषि मंत्रालय के एक उपसचिव ने यह स्पष्ट किया कि, "... अगर कोई किसान अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, तो यह बहुत आसान होगा, क्योंकि उसकी भूमि से संबंधित सारी जानकारी को किसानों की एक नई विशिष्ठ पहचान से हासिल किया जा सकता है।" एक सक्रिय भूमि बाज़ार का विकास करना, शासक वर्ग की लंबे समय से मांग रही है। यह पहल उसी दिशा में एक बड़ा क़दम है। यह देशी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के लिए किसानों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के मार्ग को तेज़ करेगा। वे न केवल कृषि व्यापार पर एकाधिकार और अनुबंध खेती के माध्यम से किसान क्या उत्पादन करेंगे इस पर नियंत्रण हासिल करेंगे, बल्कि एग्रीस्टैक के माध्यम से उपलब्ध किसानों की डिजिटल जानकारी का उपयोग करके वे किसानों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने में सक्षम होंगे।

यह स्पष्ट है कि एग्रीस्टैक देशी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों की एक पहल है। इसका उद्देश्य साफ है कि किसानों की ज़मीन और अन्य संसाधनों पर कब्ज़ा करने के लिए तैयार बैठे कॉर्पोरेट घरानों को किसानों के बारे में सभी जानकारियां उपलब्ध कराना। अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और हिन्दोस्तानी सरकार का दावा है कि यह डिजिटलीकरण और किसान इंटरफेस "अच्छी और सुव्यवस्थित कृषि" के लिए है। मुख्य मुद्दा यह है कि कृषि कानूनों की तरह ही यह भी इजारेदार कॉर्पोरेटों के लाभ के लिए है न कि किसानों के लिए।

सरकार का यह क़दम हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था के उन्मुखीकरण के अनुरूप है, जो मज़दूरों और किसानों के शोषण को तेज़ करके इजारेदार पूंजीपतियों को अपने मुनाफ़ों को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है।

हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था की दिशा बदलनी होगी जिसका लक्ष्य होगा मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना, न कि इजारेदारों की पूंजीवादी लालच को पूरा करना। इसके लिए मज़दूर वर्ग को मेहनतकश किसानों

शेष पृष्ठ 10 पर

पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम

पृष्ठ 5 का शेष

लगभग 135 करोड़ है, इसका मतलब यह हुआ कि यह राशि प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे से औसतन 2,700 रुपये वार्षिक उत्पादन शुल्क लेने के बराबर है।

केंद्र सरकार उन मेहनतकशों पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है जो पहले से ही आर्थिक गिरावट और लॉकडाउन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार पूंजीपतियों के निगमों के ऊपर टैक्स की दर नहीं बढ़ा रही है, जिन्होंने 2020–21 में अपने मुनाफ़ों में 50 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि की है।

हिन्दोस्तान के सबसे अमीर लोग बड़ी तेज़ी से और भी अमीर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मेहनतकश बहुसंख्यक लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई से और भी अधिक अतिरिक्त मूल्य निकाला जा रहा है। एक तरफ कॉरपोरेट टैक्स की दरें नहीं बढ़ाई जा रही हैं और दूसरी तरफ, केंद्रीय बजट से हर साल कर्ज़ न चुकाने वाले बड़े पूंजीपतियों को भारी मात्रा में धन दिया जा रहा है।

कुल मिलाकर, सच्चाई केंद्रीय मंत्री के दावे के बिलकुल विपरीत है। टैक्स की दरें, सभी लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करने के मक़सद से नहीं निर्धारित की जातीं। इसका उद्देश्य ग़रीबों की देखभाल के लिए अमीरों से अधिक टैक्स संग्रह करना नहीं है। इसके विपरीत, पहले से ही शोषित मज़दूरों और किसानों को और लूटने के लिए, टैक्स की दरों को इस तरह से निर्धारित किया गया है, ताकि सबसे अमीर पूंजीपतियों के लिए हर हाल में, अधिकतम मुनाफ़े की गारंटी दी जा सके।

http://hindi.cgpi.org/21197

सरकार की मूल्य निर्धारण नीति, तेल इजारेदारों के निजी हितों की सेवा करने के लिए बनाई गयी है

पेट्रोल की क़ीमतों को 2010 में और डीजल की क़ीमतों को 2014 में नियंत्रण–मुक्त कर दिया गया था। तब से पेट्रोल और डीजल मार्केटिंग कंपनियों को पूरी तरह से खुली छूट है कि वे कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय क़ीमतों में बदलाव होने पर, अपने मुनाफ़े सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल और डीजल की क़ीमतें बढ़ा सकती हैं।

पेट्रोलियम क्षेत्र में हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपति, लंबे समय से हिन्दोस्तान में तेल के शोधन और वितरण पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की संभावना पर नज़र गड़ाए हुए हैं। पेट्रोल और डीजल की क़ीमतों के नियंत्रण–मुक्त होने से इन कंपनियों के लिए, वितरण में विस्तार करने का रास्ता खुल गया।

दिसंबर 2019 तक हिन्दोस्तान में लगभग 66,408 पेट्रोल पंप थे। सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा विक्रेताओं के पास इनमें से 59,831 का स्वामित्व था। नायरा एनर्जी (जिसको एस्सार ऑयल के नाम से भी जाना जाता है) जो रूस के रोसनेफ्ट के स्वामित्व में है, उसके पास 5,453 पेट्रोल पंप हैं। रिलायंस के पास क़रीब 1,400 पेट्रोल पंप हैं। रॉयल डच शेल के पास 167 पेट्रोल पंप हैं।

रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स ने हिन्दोस्तान में बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए ब्रिटिश आयल मल्टीनेशनल बी. पी. के साथ जुड़ने की घोषणा की है। इस सौदे की घोषणा दिसंबर 2019 में की गई थी। रिलायंस ने अगले 5 वर्षों में अपने पेट्रोल पंपों की संख्या को बढ़ाकर 5,500 करने की योजना बनाई है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, रिलायंस (आर.आई. एल.) ने अपने पेट्रोल पंपों को महामार्गों पर लगाने की योजना बनाई है। महामार्गों पर इसका मुख्य प्रतिद्वंदी बी.पी.सी.एल. है। लाभ कमाने वाली बी.पी.सी.एल. के निजीकरण के केंद्र सरकार के फ़ैसले को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

नायरा एनर्जी ने भी अगले 2–3 वर्षों में अपने पेट्रोल पंपों की संख्या को बढ़ाकर 7,000 करने की योजना बनाई है। डच शेल ने भी अपने स्वामित्व में और 150–200 पेट्रोल पंप जोड़े जाने की संभावना जाहिर की है। फ्रांसीसी कंपनी टोटल एस.ए. भी हिन्दोस्तान में तेल–वितरण बाज़ार में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है और इस संबंध में उसने अडानी समूह के साथ एक करार किया है।

हिन्दोस्तान की सभी सरकारें पेट्रोलियम शोधन और वितरण क्षेत्र के निजीकरण के अजेंडे को और भी अधिक तीव्र गति से लगातार क़दम दर क़दम बढ़ावा देने की कोशिश करती आयी हैं। पेट्रोलियम वितरण के क्षेत्र में हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार कंपनियां, पेट्रोल पंपों के माध्यम से वितरण में अपने अधिकतम मुनाफ़े की गारंटी सुनिश्चित करना चाहती हैं। केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल की क़ीमतों में बार–बार बढ़ोतरी की नीति, इन्हीं निजी तेल वितरण कंपनियों की हितों की सुरक्षा के लिए बनाई गयी एक ऐसी नीति है ताकि इन इजारेदार पूंजीपतियों के गारंटीकृत अधिकतम मुनाफ़े बनाने के उद्देश्य को हासिल किया जा सके।

लोक राज संगठन द्वारा आयोजित यू.ए.पी.ए. पर बैठक :

यू.ए.पी.ए. – शोषण की वर्तमान व्यवस्था के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार के विरोध को कुचलने का एक यन्त्र

यू.ए.पी.ए. के तहत राजनीतिक कार्यकर्ताओं की क्रूर और लंबे समय तक कैद और जमानत से बार–बार इनकार करने के लिए एन.आई.ए. का इस्तेमाल – ये सभी कुछ ऐसे मुद्दे थे, जो 25 जुलाई को लोक राज संगठन द्वारा आयोजित यू.ए.पी.ए. पर एक बैठक में चर्चा के दौरान हावी रहे। यह सभा एक ऑनलाइन मीटिंग के रूप में आयोजित की गई थी। इस बैठक में बड़ी संख्या में युवा और छात्र, महिलाएं, मज़दूर, किसान, राजनीतिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हुए।

बैठक की शुरुआत लोक राज संगठन द्वारा बनाई गई एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से हुई। इस प्रस्तुति में हमारे देश में निवारक–निरोध क़ानूनों के इतिहास को संक्षेप में पेश किया गया, जो कि निवारक–निरोध अधिनियम (1950) से शुरू हुआ था और जिसमें शामिल हैं – 1967 में अधिनियमित पहला यू.ए.पी.ए., आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1987 (जिसको टाडा के नाम से जाना जाता है), आतंकवाद रोकथाम अधिनियम (पोटा) जो 2002 में अधिनियमित किया गया था – जैसे विभिन्न अन्य कठोर क़ानून। प्रस्तुति में बताया गया कि इन क़ानूनों का व्यापक रूप से देश में सरकार का विरोध करने वाले अनेक युवाओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करने और प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है।

प्रस्तुति के द्वारा यह हक़ीक़त भी सामने आयी कि यू.ए.पी.ए. को किस तरह से उसके दायरे और उसकी आम लोगों के विरोध को कुचलने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, पिछले कुछ वर्षों से लगातार समय–समय पर इनको संशोधित भी किया गया है। जैसे इस क़ानून को 2004, 2008, 2009 और 2012 में संशोधित किया गया, लेकिन हर बार न कि पहले से मौजूद, सबसे कठोर प्रावधानों को बरकरार रखा गया बल्कि पहले से और भी अधिक बर्बर प्रावधानों को शामिल किया गया। यू.ए.पी.ए. के तहत दर्ज मामलों की जांच के लिए 2008 में केंद्र सरकार के नियंत्रण में आने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) की स्थापना की गई थी। एन.आई.ए. को संबंधित राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कहीं भी छापेमारी करने का अधिकार है। 2019 में यू.ए.पी.ए. को न केवल संगठनों, बल्कि व्यक्तियों को भी, आतंकवादी घोषित करने का एक प्रावधान बनाने के लिए संशोधित किया गया था। क़ानून में लगातार किये गए संशोधनों के द्वारा, प्री–चार्जशीट कस्टडी अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन फिर 90 दिन और अब 180 दिन तक कर दिया गया है। इसके अलावा यह भी प्रावधान शामिल किया गया है कि पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट का इस्तेमाल करके हिरासत की अवधि को 180 दिनों से भी आगे बढ़ा सकती है। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से जब चाहे, "आतंकवादी" घोषित किया जा सकता है। यू.ए.पी.ए. का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर, मुस्लिम और सिख युवाओं के ख़िलाफ़, विस्थापन और बेदखली से लड़ने वाले आदिवासियों के ख़िलाफ़, सी.ए.ए.–विरोधी प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़, कश्मीर और पूर्वोत्तर में युवाओं ख़िलाफ़ और मानवीय व लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों के ख़िलाफ़ किया गया है। इस क़ानून के अनुसार, अपनी बेगुनाही साबित करने की ज़िम्मेदारी आरोपित व्यक्ति पर ही होती है।

प्रस्तुति में पेश किये गए आंकड़े बताते हैं कि यू.ए.पी.ए. के तहत लोगों पर लगाये जाने वाले आरोपों को आखिर में सिद्ध कर पाने की दर बेहद कम रही है, जो कि इस समय लगभग 2.2 प्रतिशत है। इसका मतलब स्पष्ट है कि यू.ए.पी.ए. के द्वारा हजारों निर्दोष लोगों को बिना किसी अपराध के सज़ा भुगतनी पड़ी है, उन्हें मनमाने तरीक़े से दंडित किया गया है और इस प्रकार उनके जीवन को आपराधिक रूप से तबाह कर दिया गया है।

लोक राज संगठन के अध्यक्ष, एस. राघवन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि यू.ए.पी.ए. का मुख्य उद्देश्य, इससे पहले के अन्य सभी कठोर क़ानूनों की तरह, मौजूदा व्यवस्था में अधिकांश लोगों के विशाल बहुमत के शोषण और उत्पीड़न के ख़िलाफ़ होने वाले सभी विरोधों को कुचलना है। इस तरह के क़ानूनों का मक़सद है, शोषण और दमन से तबाह लोगों के अधिकारों की हिफ़ाज़त में लड़ने वाले सभी लोगों को राज्य की ताक़त के सामने आत्मसमर्पण करने की धमकी दी जाए।

उन्होंने इस हक़ीक़त को भी पेश किया कि संविधान और अदालतों ने भी हमेशा निवारक–निरोध क़ानूनों की आवश्यकता को बरकरार रखा है, हालांकि समय–समय पर कुछ अदालतों ने ऐसे क़ानूनों के प्रयोग में "सावधानी" बरतने का आह्वान किया है। बड़े पैमाने पर आम लोगों के लगातार विरोध के बावजूद, यू.ए.पी.ए. जैसे क़ानूनों की निरंतरता इस हक़ीक़त को बड़े ही स्पष्ट रूप से सामने लाती है कि इस व्यवस्था में निर्णय लेने में और पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में, लोगों को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है, इस व्यवस्था में वोट देने के अलावा लोगों के पास कोई भूमिका नहीं है।

ऐसे क़ानूनों के मनमाने इस्तेमाल को चुनौती देने के लिए लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क़ानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करने या लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले क़ानूनों को रद्द करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका, विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है और निर्वाचित विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। एक बार जब लोगों ने अपना वोट डाल दिया, तो उनके पास अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह होने या उन्हें वापस बुलाने का कोई साधन नहीं होता है। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में यह निष्कर्ष पेश किया कि ऐसे क़ानूनों को समाप्त करने का एकमात्र तरीक़ा है, एक ऐसी नई व्यवस्था के लिए आंदोलन को मजबूत करना जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो सके और लोग संप्रभु हों।

यू.ए.पी.ए. का लगातार विरोध करने और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई जाने–माने वकीलों और कार्यकर्ताओं ने बैठक को संबोधित किया। इनमें शामिल थे – सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण; आई.ए.एस. श्री एम.जी. देवसहायम; वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस.क्यू.आर. इलियास; पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजविंदर सिंह बैंस और राजनीतिक सलाहकार श्री चंद्रू चावला।

वक्ताओं ने इस निष्कर्ष पर सहमति व्यक्त की कि यू.ए.पी.ए. जैसे कठोर क़ानूनों का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार की असहमति को कुचलना है। उन्होंने फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में, हाल ही में हुई दर्दनाक मौत का जिक्र किया, आदिवासियों और विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा में आवाज़ उठाने के लिए, यू.ए.पी.ए. के तहत उन्हें जेल में बंद किया गया और उनकी उम्र और बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद उनकी जमानत की याचिका को बार–बार इनकार किया गया – यह एक उदाहरण ही काफी है यह दिखाने के लिए कि यू.ए.पी.ए. कैसे क्रूरता से आम लोगों के बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है।

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यह दिखाने के लिए कई उदाहरण दिए कि कैसे अदालतों ने जमानत से इनकार करने और व्यक्तियों की गिरफ़्तारी और उनकी यातना को लम्बा करने के लिए पुलिस द्वारा गढ़े गए सभी प्रकार के सबूतों को स्वीकार किया है।

श्री एम.जी. देवसहायम ने हमारे देश में वर्तमान चुनावी प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया, जो सबसे बुरे–अपराधियों को सत्ता में बने रहने में सक्षम बनाती है और इस व्यवस्था में लोग उन्हें हटाने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन होते हैं।

डॉ. एस.क्यू.आर. इलियास ने घोषणा की कि हजारों मुस्लिम युवाओं की दुर्दशा के लिए अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन निर्दोष युवाओं को केवल उनके धार्मिक विश्वास के कारण "आतंकवादी" घोषित कर दिया और फिर कई वर्षों की सज़ा के बाद, अंत में कोई भी सबूत न होने के कारण उन्हें निर्दोष घोषित किया गया। जबकि आम लोगों को "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा" कहा जाता है सरकार ने लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा की उस चूक के बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं किया है, जिससे पुलवामा में हमारे सैनिकों की मौत हुई – उन्होंने अधिकारियों की अधिक जवाबदेही के ऊपर ज़ोर देने का आह्वान करते हुए कहा। उन्होंने एक उर्दू दोहे के साथ अपनी प्रस्तुति का समापन किया जो कहता है कि "जब दरोगा, न्यायाधीश और जल्लाद एक ही हैं–तो न्याय की आशा कैसे की जा सकती है?"

अधिवक्ता राजविंदर सिंह बैंस ने यू.ए.पी.ए. और इस तरह के अन्य कठोर क़ानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए, चल रहे किसान आंदोलन की तरह एक जन आंदोलन का आह्वान किया।

श्री चंद्रू चावला ने मांग उठाई कि निर्दोष लोगों की गिरफ़्तारी और प्रताड़ना के लिए ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने मानवाधिकारों

शेष अगले पृष्ठ पर

कामरेड माणिक समझदार

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति कामरेड माणिक समझदार का 28 जुलाई, 2021 को कोलकाता में हुए असामयिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करती है। वे 67 वर्ष के थे।

कामरेड माणिक समझदार बहुत ही जोशीले व्यक्ति थे, उन्होंने मज़दूर वर्ग और लोगों की एकता के लिए दृढ़ता से काम किया।

कलकत्ता केमिकल फैक्ट्री, जहां वे काम करते थे, उसके मज़दूरों ने बार–बार उन्हें अपनी यूनियन के नेता के रूप में चुना। उन्होंने अथक रूप से उनके अधिकारों के लिए संघर्ष में उनका नेतृत्व किया।

कामरेड माणिक समझदार हिंदू–मुस्लिम एकता के प्रति समर्पित थे, उन्होंने 1947 में देश के विभाजन के बाद हुई फूट को ख़त्म करने के लिये काम किया। बांग्लादेश–भारत–पाकिस्तान पीपुल्स फोरम (बी.बी.पी.पी.एफ.) की त्री–राष्ट्रीय समिति के सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। तीन देशों के लोगों की साम्राज्यवाद–विरोधी एकता का निर्माण करने के लिए, उन्होंने अथक रूप से हिन्दोस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कई कार्यक्रम आयोजित किए। वे उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष के देशभक्तों और शहीदों के कार्यों से बहुत प्रभावित थे। कामरेड माणिक समझदार ने 1757 की प्लासी का युद्ध, 1857 के महान ग़दर और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी ऐतिहासिक वर्षगांठ मनाने के लिए बैठकों के आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें तीनों देशों के लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अपनी अंतिम सांस तक, उन्होंने अपने आपको बी.बी.पी.पी.एफ. के काम के लिए समर्पित किया था।

कामरेड माणिक समझदार सभी कम्युनिस्टों को एक पार्टी में एकजुट होने और पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष में हमारे देश के मज़दूर वर्ग और लोगों को नेतृत्व प्रदान करने की आवश्यकता में विश्वास रखते थे। दुख के इन क्षणों में, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति उनके सभी साथियों और हिन्दोस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बी.बी.पी.पी.एफ. के कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

http://hindi.cgpi.org/21195

2020–21 में पूंजीपतियों के मुनाफ़े बढ़े और लोगों के कष्ट भी बढ़े

वित्तीय वर्ष 2020–21 एक ऐसा दौर था, जब देश के अधिकांश लोगों को एक अनकही पीड़ा से गुजरना पड़ा। करोड़ों कामकाजी लोगों को कोरोना वायरस तथा राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में लगे लॉकडाउन के कारण भारी कष्ट झेलना पड़ा। अर्थव्यवस्था का कुल आकार, वार्षिक मूल्य वर्धिता या सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के द्वारा मापा जाता है, जो पिछले वर्ष में 204 लाख करोड़ रुपये से घटकर 2020–21 में 197 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं की क़ीमतों में मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद, उत्पादक गतिविधियों में 8 से 10 प्रतिशत की गिरावट आई।

वर्ष 2020–21 के लिए स्टॉक बाज़ार में पूंजीपतियों की 1100 सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा घोषित किए गए वित्तीय परिणाम बताते हैं कि उनका संयुक्त शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक था। पिछले वर्ष, 2019–20 में शुद्ध लाभ में गिरावट आई थी। इस प्रकार महामारी और लॉकडाउन ने देश की सबसे बड़ी पूंजीवादी कंपनियों के मालिकों को लाभान्वित किया है। ये इजारेदार कंपनियां हैं, जो औद्योगिक वस्तुओं और वाणिज्यिक सेवाओं के लिए बाज़ार के प्रमुख हिस्सों को नियंत्रित करती हैं।

महामारी के वर्ष में इजारेदार पूंजीपतियों के मुनाफ़े की भारी वसूली को कई कारकों ने प्रभावित किया है। सबसे महत्वपूर्ण कारक है पूंजीपति मालिकों द्वारा वेतनों और किरायों के बिलों में भारी कटौती करना।

पूंजीवादी कंपनियों ने लॉकडाउन के नियमों का इस्तेमाल करके, मज़दूरों की संख्या में कटौती की है और कई मामलों में तो उन्होंने हर महीने मिलने वाले वेतनों में भी कटौती की है। सेवाएं प्रदान करने वाली कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा। इस प्रकार ये कंपनियां दैनिक काम के घंटों को बढ़ाने में क़ामयाब हुईं और मज़दूरों द्वारा प्रति दिन किये गये अतिरिक्त काम से अधिक बेशी मूल्य (सरप्लस वैल्यू) निचोड़ सकीं। उन्होंने कार्यालयों के आकार में कटौती करके काम के स्थान को छोटा कर दिया और भुगतान किये जाने वाले किराए को बचा लिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज़ों पर लगने वाले ब्याज की दर में कटौती करके पूंजीवादी कंपनियों की मदद की। इस कारण कर्ज़दार पूंजीपतियों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की लागत कम हो गई।

अंतर्राष्ट्रीय क़ीमतों में उतार–चढ़ाव ने भी एक भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, अप्रैल–सितंबर 2020 के दौरान कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय क़ीमत में भारी गिरावट ने पेट्रोलियम रिफाइनिंग उद्योग के मुनाफ़े को बढ़ा दिया। वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान धातुओं की अंतर्राष्ट्रीय क़ीमतों में हुई बढ़ोतरी ने हमारे देश में इस्पात और एल्यूमीनियम उद्योगों के मुनाफ़े को बढ़ा दिया।

इन सभी तथ्यों को एक साथ देखने से क्या पता चलता है? ये तथ्य दिखाते हैं कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई के नाम पर लगाए गए लॉकडाउन ने देश की सबसे बड़ी पूंजीवादी कंपनियों को मज़दूर वर्ग के शोषण को तेज़ करने और पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को बढ़ाने में मदद की है। वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई की आड़ में इजारेदार घरानों की अगुवाई में शासक पूंजीपति वर्ग मज़दूरों–किसानों और अन्य सभी मेहनतकशों की आजीविका और अधिकारों के ख़िलाफ़ अपने हमलों को तेज़ कर रहा है।

http://hindi.cgpi.org/21204

सरकार की जन–विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ मज़दूरों का देशव्यापी अभियान

9 अगस्त, 2021 को सरकार की जन–विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए, देशभर में लाखों–लाखों मज़दूरों ने धरने–प्रदर्शन व हडतालें कीं। यह ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों का एक देशव्यापी अभियान था।

दिल्ली की ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने नयी दिल्ली के मंडी हाउस पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। भारी पुलिस बैरिकेड और प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को रोकने के दबाव को चुनौती देते हुए, आंदोलित मज़दूरों ने जोशीले नारों के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की :

"निजीकरण बंद करो!", "जनता की संपत्ति को कॉर्पोरेट घरानों को बेचना बंद करो!", "चार लेबर कोड मज़दूरों के मौलिक अधिकारों का हनन हैं!", "किसान–विरोधी कानूनों को रद्द करो!", "टाटा–अम्बानी की जेबें भरना बंद करो!", "देश के असली मालिक – मज़दूर किसान!", "मज़दूर एकता ज़िंदाबाद!", "इन्क़लाब ज़िंदाबाद!" सभी भागीदारों ने अपने हाथों में लिये बैनरों और प्लेकार्डों के ज़रिये अपनी मांगों को स्पष्ट किया।

विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए, मज़दूर नेताओं ने मज़दूरों की छंटनी, तालाबंदी, वेतन कटौती और

बेरोज़गारी तथा पैट्रोल–डीजल–रसोई गैस और सभी ज़रूरत की वस्तुओं के आसमान छूते दामों की कड़ी निंदा की। कोरोना महामारी और लॉक डाउन की वजह से तबाह हुए लाखों–लाखों मज़दूरों को राहत दिलाने में सरकार की नाक़ामयाबी, स्वास्थ्य क्षेत्र के निजीकरण के परिणाम स्वरूप तमाम मज़दूरों का इलाज के बिना ही दम तोड़ देना, इन पर सभी ने सरकार और व्यवस्था की खूब आलोचना की। यह स्पष्ट किया गया कि सरकार टाटा–अम्बानी जैसे बड़े–बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफ़ों को बढ़ाने के लिए ही काम कर रही है। बड़े–बड़े कॉर्पोरेट घरानों को ऋण माफ़ी, सस्ते ऋण, टैक्स माफ़ी आदि की सौगात दी जा रही है। बी.पी.सी.एल., आयुध कारखानों, स्टील, कोयला, बिजली, रेलवे, एयर इंडिया, हवाई अड्डे, बैंक, एल.आई.सी., जी.आई.सी., कृषि और भंडारण, आदि जैसे हर सरकारी उपक्रम को बेचने और उन्हें निजी पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने का कार्यक्रम ज़ोर–शोर से चल रहा है।

मज़दूर वर्ग पर इन चौतरफा हमलों का मुक़ाबला करने, मज़दूरों–किसानों को देश का असली मालिक बनाने के उद्देश्य के साथ, अपनी एकता मजबूत करने और संघर्ष को तेज़ी से आगे बढ़ाने का आह्वान दिया गया।

आयोजक संगठन थे एटक, सीटू, एच.एम.एस., मज़दूर एकता कमेटी, ए.आई.यू.टी.यू.सी., ए.आई.सी.सी.टी.यू., सेवा, एल.पी.एफ., यू.टी.यू.सी., आई.सी.टी.यू., आदि।

मुख्य वक्ता थे – एटक से अमरजीत कौर, एच.एम.एस. से हरभजन सिंह सिद्धू, सीटू से अनुराग सक्सेना, मज़दूर एकता कमेटी से संतोष, ए.आई.यू.टी.यू.सी. से हरीश त्यागी, एक्टू से राजीव डिमरी, सेवा से लता, एल.पी.एफ. से जे.पी. सिंह, यू.टी.यू.सी. सं शत्रुजीत सिंह, आई.सी.टी.यू. सं श्रीनाथ।

http://hindi.cgpi.org/21213

यू.ए.पी.ए. पर बैठक

पृष्ठ 7 का शेष

के उल्लंघन को एक अपराध घोषित करने के लिए संविधान में बदलाव की मांग की।

कई सहभागियों ने भी अपने विचार रखे। वे यू.ए.पी.ए. और अन्य ऐसे कठोर क़ानूनों की निंदा करने में एकमत थे, ऐसे क़ानून जो लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के ख़िलाफ़ संघर्ष को कुचलने के लिए बनाये गए हैं। उन्होंने राज्य के सभी संस्थानों पर लोगों के नियंत्रण की मांग करते हुए, एक जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। कई युवाओं ने इस हक़ीक़त के बारे में बात की कि हमारे देश के स्वतंत्र घोषित होने के 73 साल बाद भी ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा हिन्दोस्तानी लोगों को अपने अधीन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई संस्थाएं और क़ानून आज भी जारी हैं। हमारे वर्तमान शासक, टाटा, अंबानी, बिड़ला और अन्य सबसे बड़े इजारेदार पूंजीवादी घराने अपना अधिकतम मुनाफ़ा सुनिश्चित करने के लिए हमारे लोगों को केवल ज्यादा से ज्यादा शोषण की वस्तु के रूप में ही देखते हैं। इसलिए उन्हें ऐसे क़ानूनों की ज़रूरत है जो राजकीय आतंकवाद, शोषण और अन्याय के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों को चुप कराने में सक्षम हों। यह कई सहभागियों द्वारा व्यक्त किया गया एक सामान्य विचार था।

यू.ए.पी.ए. और इस तरह के सभी कठोर क़ानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए लोक राज संगठन द्वारा एक उत्साही आह्वान के साथ बैठक समाप्त हुई। हमें समाज की एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की स्थापना के लिए लोगों को एकजुट करने की ज़रूरत है, जिसमें सभी के मानवाधिकारों की गारंटी हो और जहां उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो सके और जिसमें संप्रभुता – सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति – लोगों में निहित हो। यह एक स्पष्ट संदेश था जो बैठक में की गयी चर्चा से निकला।

http://hindi.cgpi.org/21175

एक निवेदन

पाठकों से निवेदन है कि मज़दूर, किसान, महिला, नौजवान तथा समाज की हर मेहनतकश श्रेणी की ज़िंदगी और संघर्ष के बारे में लेख लिखकर भेजें। इससे देश के नव-निर्माण के लिये मज़दूर-मेहनतकश की राजनीतिक एकता बनेगी तथा संघर्ष मजबूत होगा।

हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की 76वीं वर्षगांठ

पृष्ठ 3 का शेष

विनाश के हथियारों के उपयोग का बीड़ा उठाया और उन्हें विकसित करना व उनका इस्तेमाल करना जारी रखा है। उसने पहले यह झूठ गढ़ा कि इराक के नेता सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं और फिर उसने इस झूठ का इस्तेमाल करके उस देश पर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया!

इसलिए आज जब हम, 76 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों के क़त्लेआम, उनके ख़िलाफ़ किये गए जघन्य अपराध और उनके दर्द को याद करते हैं, तो हम यह कभी नहीं भूल सकते कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार था।

हमें स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि आधुनिक युग में, दुनिया में लोगों के ख़िलाफ़ युद्धों और लोगों व देशों के सामूहिक विनाश का मूल कारण अमरीकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में, साम्राज्यवाद ही है जिसने लाखों लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया है और जो लोगों की शांति और सुरक्षा के लिए लगातार एक ख़तरा बना हुआ है।

http://hindi.cgpi.org/21218

सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी फोरम बिजली क्षेत्र के श्रमिकों के संघर्ष का समर्थन करता है

बिजली क्षेत्र के श्रमिकों के समर्थन में सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी फोरम द्वारा 3 अगस्त, 2021 को जारी किये गये बयान को हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं। इस मंच की स्थापना 4 जुलाई, 2021 को की गयी थी। स्थापना सभा में फ़ैसला लिया गया था कि रक्षा क्षेत्र, बैंक, बीमा और बिजली क्षेत्रों में निजीकरण के ख़िलाफ़ चल रहे संघर्षों के समर्थन में पत्र लिखे जायें ताकि निजीकरण के ख़िलाफ़ सांझे संघर्षों में एकता व हमदर्दी बढ़ाई जा सके। समर्थन की अभिव्यक्ति इस फ़ैसले का पालन करते हुए की जा रही है।

प्रति,

बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.), नई दिल्ली

बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) के बैनर तले, देशभर के राज्य की मालिकी वाली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कर्मचारियों तथा इंजीनियरों की विभिन्न राष्ट्रीय फेडरेशनें तथा उनसे संबंधित यूनियनें एवं एसोसिएशनें प्रस्तावित बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 (ई.ए. बिल) के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रही हैं। ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (ए.आई.एफ.ए.पी.) की ओर से हम इस संघर्ष के लिए तहे दिल से, अपना समर्थन व्यक्त करते हैं।

उपभोक्ताओं को सस्ती और बेहतर सेवा प्राप्त करने की दृष्टि से अपने वितरक को चुनने का विकल्प देने के झूठे बहाने की आड़ में इस विधेयक का असली उद्देश्य बिजली वितरण का निजीकरण करना है, लेकिन उसे छुपाया जा रहा है। यह विधेयक अगर कानून बन गया तो उसके फलस्वरूप धीरे–धीरे डिस्कॉम आर्थिक रूप से बीमार हो जाएंगे और फिर डिस्कॉम को औने–पौने दाम पर बेच दिया जाएगा।

इस ई.ए. बिल की वजह डिस्कॉम में कार्यरत 25 लाख से अधिक श्रमिकों और साथ–साथ उनके परिवारों का भविष्य ख़तरे में पड़ेगा।

वितरक का चयन करने का विकल्प होने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा ऐसा दावा ई.ए. बिल में किया गया है। मगर असलियत में उपभोक्ताओं को ई.ए. बिल से लाभ होने की बजाय बहुत नुकसान होगा। सेवा देने के लिए वितरक वास्तव में उन उपभोक्ताओं का चयन करेगा जिनसे वह अधिकतम लाभ कमा सके। छोटे उपभोक्ताओं और दूर–दराज के उपभोक्ताओं को सेवा देना निजी वितरकों के लिए लाभदायक नहीं होगा और इसलिये उन उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। बिजली की दरें बढ़ेंगी। बढ़े हुए बिल और बिजली कनेक्शन तोड़ना आम बात हो जायेगी। इस विधेयक से करोड़ों उपभोक्ता बुरी तरह प्रभावित होंगे।

ई.ए. बिल डिस्कॉम को निर्देश देता है कि उन्हें अनिवार्य रूप से वितरण का अपना बुनियादी ढांचा निजी वितरकों को बिजली वितरित करने के लिये देना ही होगा। इसका मतलब यह है कि स्वयं के बुनियादी ढांचे के निर्माण में कोई निवेश किए बिना ही निजी वितरक बिजली वितरित कर सकेंगे। पिछले 70 वर्षों में लाखों बिजली कर्मचारियों की मेहनत से और जनता के लाखों करोड़ रुपये का उपयोग करके डिस्कॉम का व्यापक बुनियादी ढांचा बनाया गया है। यह बुनियादी ढांचा, जो लोगों का है, निजी वितरकों के उपयोग के लिए लाभ कमाने और खुद डिस्कॉम के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कैसे पेश किया जा सकता है? यह स्वीकार्य नहीं है।

आधुनिक समाज के लिए बिजली एक बुनियादी आवश्यकता और एक आवश्यक सेवा है। देश के हर व्यक्ति को बिजली पाने का अधिकार है। सभी को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। 1948 के विद्युत अधिनियम में कहा गया था कि यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह हमारे देश के हर नुक्कड़ और कोने में सस्ती दरों पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करे। बिजली क्षेत्र का मक़सद मुनाफ़ा कमाना नहीं होना चाहिए, यह भी उस वक्त घोषित किया गया था। देश को दी गई इस प्रतिबद्धता को सरकार को निभाना चाहिए।

बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 के खिलाफ एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. के बैनर तले बिजली कर्मचारियों की लड़ाई न्यायसंगत तथा लोगों और देश के हित में है। ए.आई.एफ.ए.पी. आपके सभी विरोध कार्यक्रमों का पूर्ण समर्थन करता है और 10 अगस्त, 2021 को देशभर में बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल की पूर्ण सफलता की कामना करता है।

आपके साथ एकता से प्रतिबद्ध,
ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (ए.आई.एफ.ए.पी.)

घटक संगठन (वर्णमाला के क्रम में) :

1. एयर इंडिया सर्विस इंजीनियर्स एसोसियेशन (ए.आई.एस.ई.ए.),
2. ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (ए.आई.सी.डब्ल्यू.एफ.),
3. ऑल इंडिया डिफेन्स इम्पलॉइज़ फेडरेशन (ए.आई.डी.ई.एफ.)
4. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्पलॉइज़ (ए.आई.एफ.ई.ई.),
5. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (ए.आई.एफ.ओ.पी.डी.ई.),
6. ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल (ए.आई.जी.सी.),
7. ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.),
8. ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन (ए.आई.पी.एम.ए.),
9. ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (ए.आई.पी.डी.डब्ल्यू.एफ.),
10. ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (ए.आई.पी.ई.एफ.),
11. ऑल इंडिया रेलवे इम्पलॉइज़ कॉन्फेडरेशन (ए.आई.आर.ई.सी.) – पश्चिमी क्षेत्र,
12. ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (ए.आई.आर.एफ.),
13. ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन (ए.आई.आर.टी.यू.),
14. ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (ए.आई.एस.एम.ए.),
15. ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन (ए.आई.टी.सी.ए.),
16. भारत पेट्रोलियम टेक्नीकल और नॉन–टेक्नीकल इम्पलॉइज़ एसोसिएशन (बी.पी.टी.एन.टी.ई.ए.) – मुंबई रिफाइनरी,
17. चित्तरंजन लोको वर्क्स (सी.एल.डब्ल्यू), रेलवेमेन्स यूनियन, चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,
18. चित्तरंजन रेलवेमेन्स कांग्रेस (सी.आर.एम.सी.) चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल,
19. कोचीन रिफाइनरी इम्पलॉइज़ एसोसिएशन (सी.आर.ई.ए. एंड आई.एन.टी.यू.सी.),
20. डी.एम.डब्ल्यू. रेलवे वर्कर्स यूनियन (डी.एम.डब्ल्यू.आर.डब्ल्यू.यू.), पटियाला, पंजाब,
21. दक्षिण रेलवे इम्पलॉइज़ यूनियन (डी.आर.ई.यू.),
22. डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स (डी.एम.डब्ल्यू.) रेलवेमेन्स यूनियन, पटियाला, पंजाब,
23. डीजल लोको वर्क्स (डी.एल.डब्ल्यू.) मेन्स यूनियन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
24. इलेक्ट्रीसिटी इम्पलॉइज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया (ई.ई.एफ.आई.)
25. हिंदुस्तान पेट्रोलियम इम्पलॉइज़ यूनियन, विशाखापट्टनम रिफाइनरी,
26. हिंद खदान मज़दूर फेडरेशन (एच.के.एम.एफ.),
27. इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री (आई.सी.एफ.) लेबर यूनियन, चेन्नई, तमिलनाडु,
28. इंडियन रेलवे लोको रनिंगमेन ऑर्गनाइजेशन (आई.आर.एल.आर.ओ.),
29. इंडियन रेलवे टिकटचेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन (आई.आर.टी.सी.एस.ओ.),
30. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मज़दूर संघ (आई.सी.एफ.एम.एस.) चेन्नई, तमिलनाडु,
31. कामगार एकता कमेटी (के.ई.सी.)
32. लोक राज संगठन (एल.आर.एस.),
33. महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (एम.एस.बी.ई.एफ.),
34. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (ए.आई.टी.यू.सी.)
35. मेन्स कांग्रेस डीजल लोको वर्क्स (एम.सी.डी.एल.डब्ल्यू.) वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
36. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एन.एफ.आई.आर.)
37. नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलिकॉम इम्पलॉइज़ (एन.एफ.टी.ई.)–बी.एस.एन.एल.
38. पुरोगामी महिला संगठन (पी.एम.एस.)
39. रेल कोच फैक्ट्री मेन्स कांग्रेस (आर.सी.एफ.एम.सी.), रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
40. रेल कोच फैक्ट्री मज़दूर यूनियन (आर.सी.एफ.एम.यू.), कपूरथला, पंजाब,
41. रेल कोच फैक्ट्री (आर.सी.एफ.) मेन्स यूनियन, कपूरथला, पंजाब,
42. रेल कोच फैक्ट्री (आर.सी.एफ.) मेन्स यूनियन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
43. रेल व्हील फैक्ट्री कार्मिक संघ (आर.डब्ल्यू.एफ.के.एस.), बैंगलोर, कर्नाटक,
44. रेल व्हील फैक्ट्री (आर.डब्ल्यू.एफ.) मज़दूर यूनियन, बैंगलोर, कर्नाटक,
45. रिसर्च डिजाइन और स्टेंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (आर.डी.एस.ओ.) कर्मचारी संघ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
46. संचार निगम एक्जिक्यूटिव्स एसोसिएशन (एस.एन.ई.ए.)–बी.एस.एन.एल.

http://hindi.cgpi.org/21207

बिजली कर्मियों का संसद पर प्रदर्शन

पृष्ठ 1 का शेष

पुलिस की पाबंदियों की आलोचना करते हुए, एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. की तरफ से यह फ़ैसला किया गया कि अगले तीन दिनों का कार्यक्रम बी.टी.आर. भवन के सभागृह में जारी रखा जायेगा।

4, 5 और 6 अगस्त को प्रतिदिन, देश के अलग–अलग क्षेत्रों से आये नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए यह समझाया कि बिजली का निजीकरण करना ही बिजली संशोधन विधेयक 2021 का असली मक़सद है। इससे न सिर्फ देश के दसों–लाखों बिजली कर्मियों का भविष्य ख़तरे में होगा, बल्कि

उपभोक्ताओं को निजी बिजली कंपनियों के मनमाने ऊंचे दामों का बोझ झेलना पड़ेगा। बिजली जैसी मौलिक जन सुविधा देश के तमाम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। इसलिए इस बिल का डटकर विरोध करना चाहिए।

सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी फोरम (ए.आई.एफ.ए.पी.) की ओर से जारी एक समर्थन पत्र की सैकड़ों प्रतियां धरने में भाग ले रहे बिजली कर्मियों के बीच बांटी गयीं। मज़दूर एकता कमेटी और सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी फोरम की ओर से बिरजू नायक ने संघर्षरत बिजली कर्मियों का पूरा समर्थन किया।

एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. की तरफ से, सभी सहभागी कर्मियों को यह आह्वान किया गया कि 10 अगस्त को देश के कोने–कोने में, इस विधेयक के विरोध में, सभी बिजली कर्मी और इंजीनियर कार्य बहिष्कार करें और एक दिन की हड़ताल करें।

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी बिजली संशोधन विधेयक 2021 और बिजली के निजीकरण के ख़िलाफ़ देश के बिजली कर्मियों के संघर्ष का पूरा समर्थन करती है और 10 अगस्त के देशव्यापी विरोध कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान करती है।

http://hindi.cgpi.org/21184

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट मज़दूर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT. U (SE)-38/2018-20

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Aug, 2021 Date of publish - 16 Aug, 2021

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित।संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020।
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें : ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

निजीकरण के विरोध में रेल चालकों का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन

10 अगस्त, 2021 को आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) के सदस्यों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में रेलवे के 16 ज़ोनों की लगभग 650 लाबियों पर आयोजित किये गये। रेल प्रशासन द्वारा इस प्रदर्शन को अवैध घोषित किये जाने के बावजूद, पूरे देश में लगभग 7,000 से अधिक रेल चालकों ने हिस्सा लिया।

ए.आई.एल.आर.एस.ए. की केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कामरेड रामसरन के अनुसार, इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिये रेल प्रशासन की ओर 5 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया। इसमें कहा गया कि ए.आई.एल.आर.एस.ए. मान्यता प्राप्त यूनियान नहीं है, इसलिये इस संगठन द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन को अवैध घोषित किया जाता है। सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी रनिंग स्टाफ को छुट्टी नहीं दी जाएगी। कोई भी कर्मचारी अपना एच.क्यू. नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा करता है तो उसके ख़िलाफ़ रेलवे अधिनियम–1989 की धारा 173, 174 तथा 175 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके बावजूद, पूरे देश में हजारों रेल चालकों ने विरोध प्रदर्शन को सफलतापूर्वक आयोजित किया।

संगठन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मंडलों की प्रत्येक लॉबी पर रेल चालकों ने बढ़–चढ़कर इन कार्यक्रमों में भागीदारी की।

दिल्ली सहित अन्य राज्यों की लॉबियों – पानीपत, रोहतक, गाज़ियाबाद,

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में 10 अगस्त को विरोध प्रदर्शन

तुग़लकाबाद, मेरठ, सराय रोहिल्ला, शकूरबस्ती, मुरादाबाद, गोरखपुर, बनारस, मऊ, छपरा, बरेली, इलाहाबाद, हाजीपुर, सोनपुर, मुज्जफरपुर और बारौनी, आदि पर रेल चालकों ने प्रदर्शन किये।

इन लॉबियों पर हुई सभाओं को वहां के नेताओं ने संबोधित करते हुये कहा कि रेल प्रशासन के भारी दबाव और धमकियों के बावजूद, रेल चालकों ने अडिगता से अपना प्रदर्शन नियमानुसार किया। सरकार रेलवे के निजीकरण पर तुली हुई है, परन्तु रेल चालक भी अपने संघर्ष पर अडिग हैं। रेलवे में हजारों पद खाली पड़े हैं परन्तु सरकार इन पदों पर भर्ती करने की बजाय, मौजूदा कर्मचारियों का अति शोषण कर रही है। सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाये। रात्रि भत्ता पुनः जारी किया जाये क्योंकि रात्रि भत्ता बंद किए जाने पर रेल चालकों में बहुत ज्यादा आक्रोश है।

इसके अलावा देश के अन्य राज्यों – उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, आदि में सभी लॉबियों पर विरोध प्रदर्शन हुये।

रेल चालकों द्वारा उठाई गई मुख्य मांगें हैं :

- रेलवे सहित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण बंद किया जाये।
- 15 स्पोर्ट्स स्टेडियम आर.एल.डी.ए. को न सौंपे जायें।
- गाड़ियों की वित्तीय बोली अनुसूची को तुरंत रद्द किया जाये।
- सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाये।
- रनिंग स्टाफ की ड्यूटी के घंटों को घटाकर 8 घंटे किया जाए।
- रात्रि की ड्यूटी के एलाउंस से सीलिंग की लिमिट को हटाई जाये।
- न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म किया जाये और 1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त हुये सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल किया जाये।
- नॉन स्टॉप माल गाड़ियों के चालक दल को 5 से 6 घंटे में राहत दी जाये, वे बिना किसी आराम या विश्राम के अत्यधिक गहन प्रकृति का कार्य कर रहे हैं।
- 77 डिवीज़नल अस्पतालों/सब–डिवीज़नल अस्पतालों को बंद न किया जाये।
- मालगाड़ी ट्रैफिक की बढ़ोतरी के कारण, 35 प्रतिशत अतिरिक्त मालगाड़ी चालकों (एल.पी.जी.) के पद स्वीकृत किये जायें।
- यात्री सेवाओं की बहाली होने की वजह से सहायक चालक (ए.एल.पी.) के प्रशिक्षण में तेज़ी लाई जाये।
- लाइन बॉक्स वापस लेना बंद किया जाये।
- रनिंग रूम की सुविधाओं में सुधार किया जाये।
- कोविड–19 से हुई मृत्यु में 50 लाख रुपये के मुआवज़े का भुगतान किया जाये, पीड़ितों के बच्चों को पेंशन लाभ और अनुकंपा नियुक्तियों के भुगतान में तेज़ी लाई जाये।
- ई.ओ.टी.टी. के साथ बिना गार्ड, बिना ब्रेकवान, बिना बीपीसी आदि के साथ काम करने वाली असुरक्षित गाड़ियों के संचालन को बंद किया जाये।
- एल.पी.पी. के 30 प्रतिशत मीन–पे के साथ रनिंग अलाउंस को संशोधित किया जाये।
- चिकित्सकीय रूप से अवर्गीकृत हुये, रनिंग स्टाफ को वैकल्पिक पद पर नियुक्त करते समय प्रत्येक रनिंग–पे–स्केल के समतुल्य, नान रनिंग–पे–स्केल निर्धारित किया जाये, आदि।

http://hindi.cgpi.org/21232

देश की संपत्ति के निजीकरण के ख़िलाफ़ प्रदर्शन

9 अगस्त, 2021 को छत्तीसगढ़ के जिला सरगुजा में अम्बिकापुर के घड़ी चौक पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर धरना–प्रदर्शन आयोजन किया गया। भारी बरसात में भी इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूरों और सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

सार्वजनिक उद्योगों और संसाधनों के निजीकरण पर रोक लगाने, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने, चारों श्रम संहिताओं को रद्द करवाने की मांग के साथ, कई क्षेत्रीय श्रमिक संगठनों – तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़, प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ तथा कोयला श्रमिकों, बी.एस.एन.एल., रेलवे, बीमा और बैंक, आदि की यूनियनों, यूनाइटेड फोरम ऑफ ट्रेड यूनियन सरगुजा, छत्तीसगढ़ किसान सभा आदि – ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

सभी सहभागी संगठनों के नेताओं ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने निजिकरण और उदारीकरण की नीतियों और सार्वजनिक संसाधनों व सेवाओं के निजी पूंजीपतियों के हाथों बेचे जाने की कड़ी निंदा की। इसके साथ–साथ, सभी वक्ताओं ने तीनों किसान–विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग की और चार श्रम संहिताओं के ज़रिये मज़दूरों के मूलभूत अधिकारों के छीने जाने की भर्त्सना की। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड–19 से सुरक्षा के लिये आवश्यक उपकरण निशुल्क दिये जाने और उन्हें जोखिम भत्ता दिये जाने, जैसे कई अन्य मांगें भी रखी गयीं।

अंत में सभी नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि जनता इन हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इन किसान–विरोधी, मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ संघर्ष जारी रहेगा।

http://hindi.cgpi.org/21228

किसानों पर डेटाबेस

पृष्ठ 6 का शेष

के साथ गठबंधन बनाकर सत्ता अपने हाथों में लेनी होगी। सामाजिक उत्पादन के सभी पहलुओं पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए मज़दूरों–किसानों के शासन की आवश्यकता है। ऐसे राज्य को भूमि, मिट्टी, वर्षा आदि जैसे कृषि–जलवायु कारकों का एक व्यापक डेटासेट प्रदान करने की आवश्यकता होगी। ऐसे राज्य के पास देश में कृषि के लिए एक समग्र योजना होगी जो कि समाज की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से संचालित होगी और किसानों की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

http://hindi.cgpi.org/21173

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810187911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com